दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 16 मई, 2024

उद्घोषित: 4 अक्टूबर, 2024

रि.या.(सि.) 15159/2021

गुरविंदर सिंह और अन्य .... याचीगण

द्वारा: सुश्री सुरुचि अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री गुरमीत सिंह, अधिवक्ता मो:9650954007)

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री कीर्तिमान सिंह, के.सर.स्था.अधि. के साथ सुश्री विधि जैन और श्री ताहा यासीन, भारत संघ के लिए अधिवक्तागण (मो:9999359235)

श्री सुभाष कुमार और श्री अनुराग बिंदल, प्रत्यर्थी सं. 3 के लिए अधिवक्तागण (सर गंगा राम अस्पताल) (मो:9999955947)

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. प्रतिभा एम. सिंह</u>

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड के माध्यम से की गई है।

<u>परिचय और पृष्ठभूमि तथ्य</u>

2. ***एम. बनाम एच.एफ.ई.ए.*** में अपील न्यायालय ने एक महिला 'ए' की पीड़ा का उल्लेख किया, जिसे 21 वर्ष की आयु में कैंसर का पता चला था और वह बच्चे पैदा करना चाहती थी:

> *"दूसरे शब्दों में, समिति ने इस संभावना पर विचार नहीं किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें ए ने कुछ इस तरह कहा (यदि मैं ए के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का साहस कर सकता हूँ जिन्हें ए ने कभी इस्तेमाल नहीं किया और जिसका वह जवाब देने में सक्षम नहीं है): **<u>"यही मैं करना चाहती हूँ। इसमें क्या शामिल है, इसके बारे में आप मुझे जो कुछ भी बताना चाहते हैं, मैं उसे करना चाहती हूँ। मुझे अपने माता-पिता पर भरोसा है कि जब मैं चली जाऊंगी तो वे इस सब के बारे में सही निर्णय लेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से पाला है। यह मेरा एकमात्र मौका है। यह संभावना समझा सकती है कि जनवरी 2010 और उसकी मृत्यु के बीच अगर ए के अंडाणुओं का उपयोग किया गया होता, तो क्या होने की आवश्यकता होगी,</u>** इसके विवरण के बारे में ए और उसकी माँ के बीच में कोई विस्तृत चर्चा क्यों नहीं हुई। वास्तव में उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले कुछ चर्चा हुई थी, जिसे समिति संदर्भित करने में विफल रही। समिति ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या मामले की अंतर्निहित संभावनाएं इस तरह के निष्कर्ष पर ले जा सकती हैं।*

3. गहरी हानि की भावनाएँ और मृतक के साथ संबंध बनाए रखने की लालसा, जैसा कि उपरोक्त परिच्छेद में माँ द्वारा व्यक्त किया गया है, वर्तमान मामले में भी समान है। याचिकाकर्ता, अपने बेटे की असामयिक मृत्यु से दुखी होकर, प्रत्यर्थी सं. 3—सर गंगा राम अस्पताल से से उसके परिरक्षित वीर्य का नमूना प्राप्त करके उसकी विरासत को जारी रखना चाहते हैं।

4. संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचीगण यानी याचिकाकर्ता सं. 1-गुरविंदर सिंह और याचिकाकर्ता सं. 2-हरबीर कौर द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3-सर गंगा राम अस्पताल की प्रजनन प्रयोगशाला में संग्रहीत अपने मृत बेटे-स्वर्गीय प्रीत इंदर सिंह के हिमीकृत वीर्य के नमूने को निकालने की मांग करते हुए दायर की गई है।

5. याचीगण के बेटे को 22 जून, 2020 को नॉन-हॉजकिन लिंफोमा का पता चला था, जो कैंसर का एक रूप है और उसे गंगा राम अस्पताल (*इसके बाद, 'अस्पताल'*) में भर्ती कराया गया था। उसे कीमोथेरेपी दी जानी थी और उस स्तर पर, उन्हें अपने वीर्य के संग्रहित करने की सलाह दी गई थी ताकि कीमोथेरेपी के कारण होने वाली किसी भी बांझपन की समस्या से निपटा जा सके। मृतक ने तब अपने वीर्य के नमूने को हिमीकृत करने की सहमति दी थी, और उसके वीर्य के नमूने को 27 जून, 2020 को प्रत्यर्थी सं. 3 की आई.वी.एफ. प्रयोगशाला में पंजीकरण सं. 2726372 के द्वारा परिरक्षित किया गया था। दुर्भाग्य से, 1 सितंबर,

2020 को 30 साल की आयु में उसका निधन हो गया। याचीगण के अनुसार, डॉक्टरों की सलाह थी कि कीमोथेरेपी के परिणामस्वरूप बांझपन हो सकता है, जिसके कारण मृतक बेटे ने यह कदम उठाया। हिमीकृत वीर्य के नमूने को अस्पताल में परिरक्षित किया गया है जिसकी पुष्टि गंगा राम अस्पताल के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष कुमार ने की है।

6. याचिकाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं। याचिकाकर्ता सं. 1 पिता है, और याचिकाकर्ता सं. 2 मृतक की माँ है। याचीगण के बेटे का 1 सितंबर, 2020 को 30 साल की अल्प आयु में निधन हो गया। उसकी मृत्यु से पहले, जब उन्हें नॉन-हॉजकिन लिंफोमा का पता चला था, जो कैंसर का एक रूप है। जून, 2020 में, डॉक्टरों की सलाह पर, उन्होंने अपने वीर्य के नमूने को संग्रहीत करने के लिए अस्पताल में वीर्य क्रायोप्रेज़र्वेशन के लिए प्रजनन प्रयोगशाला की सेवाओं का लाभ उठाया। उन्होंने अस्पताल की प्रजनन प्रयोगशाला में संग्रहीत हिमीकृत शुक्राणु को देने के लिए 21 दिसंबर, 2020 को अस्पताल से संपर्क किया। याचीगण का मामला यह है कि वे अपने मृत बेटे की विरासत को जारी रखना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने वीर्य का नमूना देने के लिए अस्पताल से संपर्क किया। अस्पताल ने हालांकि यह रुख अपनाया कि उसे न्यायालय के उचित आदेश के बिना नहीं दिया जा सकता है। इस रिट याचिका में जिस अवमुक्ति की प्रार्थना की गई है, वह इस प्रकार है:

*प्रत्यर्थी सं. 3 की **आई.वी.एफ. प्रयोगशाला में दिनांक 27.06.2020 को पंजीयन सं. 2726372 के तहत संग्रहीत हिमीकृत वीर्य के नमूने को याचीगण की अभिरक्षा में देने के लिए प्रत्यर्थी सं. 3 को उचित निर्देश जारी करने के लिए** प्रत्यर्थी सं. 2 को परमाधिकार या इस तरह के उपयुक्त प्रकृति की रिट जारी करें।*

7. याचीगण का कहना है कि वे अपने मृत बेटे के वीर्य के नमूने के परिरक्षण के लिए नियमित रूप से भुगतान कर रहे थे। हालाँकि, 27 जून, 2020 को भुगतान अवधि समाप्त होने के बाद, अस्पताल ने आगे भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचीगण को डर था कि अस्पताल भुगतान न करने के कारण हिमीकृत वीर्य को परिरक्षित करना बंद कर सकता है। याचीगण के अनुसार, वे अपनी बेटियों के साथ, हिमीकृत वीर्य के नमूने का उपयोग करके सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।

प्रक्रिया संबंधी इतिहास

8. वर्तमान याचिका में नोटिस 24 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था। 4 फरवरी, 2022 को अस्पताल के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वीर्य का नमूना परिरक्षित किया गया था। उक्त बयान को अभिलेख पर लिया गया।

9. 13 मई, 2022 को अस्पताल के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मृतक के वीर्य का नमूना नहीं देने का एक कारण यह था कि अस्पताल द्वारा वर्तमान स्थिति

से निपटने के लिए कोई संहिताबद्ध नीति तैयार नहीं की गई थी। अस्पताल के एक सक्षम अधिकारी को तब वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थनाओं के संबंध में अस्पताल की स्थिति को समझाते हुए हलफनामा देने का निर्देश दिया गया था। 30 मई, 2022 को न्यायालय को दिए गए हलफनामे में यह बताया गया कि मृतक ने 27 जून 2020 से अपने कीमोथेरेपी सत्रों की शुरुआत से पहले वीर्य क्रायोप्रेज़र्वेशन के लिए अनुरोध किया था। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 के संदर्भ में, अविवाहित व्यक्ति के वीर्य के नमूनों के व्यवस्थापन/उपयोग के संबंध में कोई क़ानूनी दिशानिर्देश नहीं दिए गए थे।

10. सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 (*इसके बाद, 'ए.आर.टी. अधिनियम')* की व्याख्या के संबंध में उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने 23 नवंबर, 2022 को वर्तमान याचिका में मंत्रालय को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। इस प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय *(इसके बाद, 'एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.')* को वर्तमान याचिका में प्रत्यर्थी सं. 4 के रूप में शामिल किया गया था।

11. दिनांक 12 अप्रैल, 2023 के आदेश के अनुसार, अस्पताल की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष कुमार को निर्देश दिया गया कि वे मृतक के वीर्य का नमूना लेने से संबंधित अस्पताल के अभिलेख, डॉक्टरों द्वारा किए गए

टिप्पण, यदि कोई हों, और जिस तरह से उन्हें अस्पताल द्वारा परिरक्षित किया गया था, पेश करें। 2 मई, 2023 को वीर्य हिमीकरण की माँग से संबंधित एक पत्रक सहित अस्पताल का अभिलेख प्रस्तुत किया गया था।

<u>अस्पताल की ओर से जवाबी हलफनामा</u>

12. 3 फरवरी, 2022 को अस्पताल ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। उक्त जवाबी-हलफनामा में वर्तमान याचिका की पोषणीयता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त अस्पताल भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के निबंधनानुसार *'राज्य'* नहीं है।

13. इसके अलावा, अस्पताल के अनुसार, ए.आर.टी. अधिनियम सहित कोई भी विधि नहीं हैं, जो एक अविवाहित मृत पुरुष के हिमीकृत वीर्य के नमूने को उसके माता-पिता या विधिक उत्तराधिकारियों को देने को नियंत्रित करता है। बिना किसी दिशानिर्देश या विनियमों के अस्पताल जून, 2020 से क्रायोप्रिजर्व्ड होने के बावजूद, वीर्य का नमूना देने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, ***अशोक कुमार चटर्जी बनाम भारत संघ*** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में अभिनिर्धारित किया गया है कि पिता-पुत्र का संबंध पिता को अपने बेटे की संतान पर कोई अधिकार नहीं दिया है। इस संदर्भ में, याचीगण (मृतक के माता-पिता) को अपने अविवाहित मृत बेटे के हिमीकृत वीर्य के नमूने पर कोई विधिक आधार या अधिकार नहीं था।

अस्पताल के अनुसार, निर्णय इस बात पर जोर देता है कि यदि कोई ऐसा अधिकार है, तो केवल पत्नी का होगा।

<u>याचीगण की ओर से प्रत्युत्तर</u>

14. उपरोक्त जवाबी हलफनामा के लिए प्रत्युत्तर हलफनामा 12 मार्च, 2021 को दायर किया गया। याचीगण ने ***संजीव गुलाटी बनाम श्री गंगा राम अस्पताल*** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि लोक कर्तव्यों का पालन करने वाले निजी अस्पताल भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत आते हैं और रिट याचिकाओं के अधीन हैं। यह तर्क दिया गया कि चूँकि अस्पताल लोक कृत्य कर रहा था, इसलिए यह दावा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता कि वर्तमान रिट पोषणीय नहीं है। ***जैस्मीन एबेंजर आर्थर बनाम एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** पर भरोसा किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निजी निकाय के खिलाफ रिट याचिकाएं पोषणीय हैं, यदि उस पर कोई लोक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है।

15. याचीगण के अनुसार, किसी भी विधायी मार्गदर्शन के अभाव में, हिमीकृत वीर्य का नमूना मृतक के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रदान किया जाना चाहिए, और याचीगण के खिलाफ उनके मृत बेटे की आनुवंशिक पदार्थ का दावा करने के लिए कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ***अशोक***

कुमार चटर्जी (पूर्वोक्त) में निर्णय को इस आधार पर अलग करना चाहते हैं कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग है, क्योंकि इसमें मृतक शादीशुदा था और उसकी एक पत्नी थी, जबकि वर्तमान मामले में मृतक अविवाहित था।

16. इसके अलावा, याचीगण ने ***'इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मोनिका झू एंड यौंगमिन झू' (दिनांक 16 मई, 2019, अनुक्रमणिका सं. 53327/2019)*** में न्यूयॉर्क राज्य, वेस्टचेस्टर काउंटी के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा। उक्त निर्णय पर बाद में विस्तार से विचार किया जाएगा।

17. इसके बाद, 10 अक्टूबर, 2022 को ***सि.वि. 44521/2022*** के द्वारा, ए.आर.टी. अधिनियम, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021, भारत में ए.आर.टी. क्लीनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश जैसे कुछ दस्तावेजों को अभिलेख पर रखा गया। इसके अलावा, मृतक बेटे के हिमीकृत वीर्य के कब्जे और अभिरक्षा से संबंधित कुछ समाचार पत्र लेखों को भी अभिलेख पर रखा गया।

<u>वर्तमान याचिका पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जवाब</u>

18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2023 को अपना संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया। उक्त हलफनामे में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का रुख इस प्रकार है:

- एस.आर.ए. केवल सरोगेसी के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं वाले इच्छुक दंपतियों या महिलाओं पर लागू होता है और इसमें दादा-दादी को 'इच्छुक दादा-दादी' के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, जो याचीगण को इस अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए अयोग्य ठहराता है।
- ए.आर.टी. अधिनियम बांझ दंपतियों या महिलाओं की सहायता करने के लिए है और याचीगण जैसे मामलों तक विस्तारित नहीं है, जो सरोगेसी के माध्यम से पोता पैदा करना चाहते हैं।
- याचीगण के पास आवश्यक दस्तावेजों की कमी है, विशेष रूप से ए.आर.टी. नियम, 2022 द्वारा आवश्यक प्रपत्र 10 और 11, जो वीर्य के नमूने को देने के उनके अनुरोध को अस्वीकार्य बनाता है।

<u>याचीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

19. विद्वान याचीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सुरुची अग्रवाल ने ए.आर.टी. अधिनियम और ए.आर.टी. नियम, 2022 के प्रावधानों पर भरोसा किया है। वह विशेष रूप से ए.आर.टी. नियम, 2022 के प्रपत्र 10 का उल्लेख की है, जो ए.आर.टी. अधिनियम लागू होने के बाद, दाता को हिमीकृत करने के लिए सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है, साथ ही उक्त नमूना अपनी पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की अनुमति देता है जिसका नाम और विवरण निर्दिष्ट किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि याचीगण के

बेटे की मृत्यु के समय, यह अधिनियम लागू नहीं हुआ था, और घोषणा पर हस्ताक्षर करने का सवाल नहीं उठता था, प्रपत्र विधि के आशय को इंगित करता है, और अधिनियम के तहत फायदा विवाहित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

20. विद्वान अधिवक्ता आगे ए.आर.टी. अधिनियम की प्रस्तावना पर भरोसा किया है और यह तर्क दिया कि यह बांझपन, बीमारी या सामाजिक या चिकित्सीय चिंताओं के कारण उपयोग पर विचार किया गया है, जिसमें वे परिस्थितियां भी शामिल हैं जिसमें याचीगण को आज रखा गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत की कि ए.आर.टी. अधिनियम और एस.आर.ए. के प्रयोजन को उजागर करने की आवश्यकता है क्योंकि वे केवल आनुवंशिक पदार्थ के किसी भी व्यावसायिक उपयोग को रोकने/विनियमित करने के लिए हैं। वर्तमान मामले में, याचीगण अपने पूर्व मृत बेटे के वास्तविक माता-पिता हैं, और ए.आर.टी. अधिनियम की धारा 2(1)(ज) और धारा 2(1)(प) के निबंधनानुसार, याचीगण को उसे प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं थी।

21. आगे ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** में न्यूयॉर्क के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया, जहां न्यूयॉर्क का उच्चतम न्यायालय इसी तरह की स्थिति का निपटान कर रहा था, जहां दंपति का बेटा, यानी पीटर झू पहले से ही मर चुका

था। विभिन्न सुरक्षा उपायों के तहत, उक्त मामले में न्यायालय द्वारा बेटे की आनुवंशिक पदार्थ को माता-पिता को सौंपने की अनुमति दी गई थी।

<u>भारत संघ की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

22. श्री कीर्तिमान सिंह, विद्वान के.सर.स्था.अधि., सबसे पहले, दो अधिनियमों यानी ए.आर.टी. अधिनियम और एस.आर.ए. पर भरोसा किया है। वह ए.आर.टी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किए:

- धारा 2(1)(छ) 'गैमीट' को परिभाषित करती है,
- धारा 2(1)(ज) 'गैमीट दाता' को परिभाषित करती है,
- धारा 2 (1)(ञ) 'बांझपन' को परिभाषित करती है,
- धारा 2(1)(प) 'महिला' को परिभाषित करती है,
- धारा 21(1)(छ) और धारा 29 जो गैमीट की विक्रय अंतरण आदि को प्रतिबंधित करती है।

23. उन्होंने आगे एस.आर.ए. के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किए:

- धारा 2(1)(ञ) दंपति को परिभाषित करती है, जिसमें पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक और महिला की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है,
- धारा 2(1) (द) 'इच्छुक दंपति' को परिभाषित करती है,
- धारा 2(1) (यघ) 'सरोगेसी' को परिभाषित करती है,

- धारा 4(ii) और विशेष रूप से धारा 4(ii)(ग) जो सरोगेसी के लिए शर्तों का निर्धारित करती है।

24. उनके प्रस्तुति के अनुसार, दोनों अधिनियमितियों के संयुक्त पठन से यह पता चल सकता है कि याचीगण ए.आर.टी. अधिनियम या एस.आर.ए. के तहत किसी भी फायदा के लिए अर्हित नहीं होंगे, क्योंकि वे आयु सीमा पार कर चुके हैं।

25. इसके अलावा, वे एस.आर.ए. के तहत *'इच्छुक दंपति'* भी नहीं बनेंगे। विद्वान के.सर.स्था.अधि. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 से एक समानांतर रेखा खींचने की कोशिश की गई है, जिसमें एक दंपति के रूप में भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम समग्र आयु निर्धारित की गई है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि यदि याचिकाकर्ता बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें अपने बेटे की विरासत को जारी रखने के लिए अपने बेटे के वीर्य का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रिट याचिका के पैराग्राफ 9 और याचिका के आधार के पैराग्राफ बी और ई पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया है कि स्पष्ट रूप से वीर्य के नमूने को देने की माँग का उद्देश्य भविष्य में सरोगेसी के लिए उपयोग करना है। चूँकि एस.आर.ए. याचीगण को इसके लिए अनुमति नहीं देता है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित निर्णयों पर भी भरोसा किया गया हैः

- ***नंदिनी के. बनाम भारत संघ;***
- ***स्तुति राकेश पेंटर बनाम गुजरात राज्य;***
- ***राखी बोस बनाम भारत संघ;***
- ***अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ***

<u>याचीगण की ओर से जवाबी प्रस्तुतियाँ</u>

26. सुश्री अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, के.सर.स्था.अधि. ने माता-पिता की आयु के संबंध में प्रस्तुति के जवाब में प्रस्तुत किया कि याचीगण स्पष्ट रूप से शुरुआत करने वाले दंपति नहीं होंगे। यदि आनुवंशिक पदार्थ याचीगण को दी जाती है, तो वे केवल विधि के अनुसार सरोगेसी का लाभ उठाएंगे। याचीगण इस न्यायालय के समक्ष वचन दिए हैं कि यदि उन्हें सामग्री दी जाती है और वे सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो वे विधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। यह सवाल कि याचीगण सरोगेसी का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं, देने के बाद विचार किया जाएगा, हालांकि वह इस बात पर विवाद नहीं करती है कि इसका उद्देश्य उनके बेटे की विरासत को जारी रखना है।

27. ***राखी बोस (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा किया गया है एवं यह तर्क दिया गया कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 7 में, न्यायालय ने स्वीकार की है कि अंतरण की शक्ति

मौजूद है। इस अवलोकन पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया है कि ए.आर.टी. अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा करके बच्चा पैदा करने की क्षमता को कम नहीं किया जा सकता है, जिनका वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। उन्होंने अस्पताल की आई.वी.एफ. प्रयोगशाला में संग्रहीत हिमीकृत वीर्य के नमूने को देने के लिए वर्तमान याचिका में माँगी गई राहतों पर प्रकाश डाला।

28. जिस समय याचीगण के बेटे को भर्ती किया गया था, वीर्य का नमूना कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले दिया गया था और याचीगण की जानकारी के अनुसार, इसके उपयोग के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। अंत में, वह ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** में न्यूयॉर्क उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा की है, जहां इसी तरह की परिस्थितियों में, सामग्री माता-पिता को दी गई थी।

29. यह प्रस्तुत किया गया कि यदि मरणोपरांत सरोगेसी किसी भी विधि के तहत वर्जित नहीं है, तो इसे न्यायालय द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। याचीगण की दो बेटियाँ और उनके परिवार भी हैं और वे वचन देने के लिए भी तैयार हैं कि यदि सरोगेसी का विकल्प चुना जाता है, तो वे बच्चे की देखभाल करेंगे।

30. उक्त दो अधिनियमों, अर्थात ए.आर.टी. अधिनियम और एस.आर.ए. के लागु होने के मुद्दे पर, यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, बेटे की मृत्यु 2020 में हुई थी और वीर्य के नमूने को देने के लिए आवेदन भी 2020 में दायर किया

गया था। हालाँकि, उद्धृत दोनों कानून 2022 में ही लागू हुए, और इसलिए वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के लिए उक्त कानूनों के प्रावधानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

31. वह ए.आर.टी. अधिनियम की धारा 22 (2) पर भरोसा की और तर्क दी कि जिस व्यक्ति के वीर्य का नमूना संग्रहीत किया गया है, उसकी मृत्यु का कारण प्रावधान में ही किया गया है, जो दर्शाता है कि वीर्य के नमूने या गैमिटों को देने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। माता-पिता को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सरोगेसी बोर्ड में आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन निकालने को रोका नहीं जा सकता है। अंत में, वह उस समय मृतक बेटे द्वारा भरे गए प्रपत्र का उल्लेख करती है जब वीर्य के नमूने को अस्पताल में संग्रहीत करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि इसका उद्देश्य आई.वी.एफ. था। उसके और उसके पिता दोनों के मोबाइल नंबरों का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि बेटा प्रजनन के लिए अपने वीर्य के नमूने को परिरक्षित करना चाहता था। अंततः, यह मृतक की इच्छा को दर्शाता है।

32. इस मुद्दे पर कि क्या वीर्य का नमूना 'संपत्ति' है, जिसे माता-पिता को दिया जा सकता है। याचीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता ***के.एल.डब्ल्यू. बनाम जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर*** में ब्रिटिश कोलंबिया के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर

भरोसा किया है, जिसमें न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए बनाए गए मुद्दे निम्नानुसार थे:

> *[7] यह आवेदन निम्नलिखित मुद्दों को उठाता हैः*
> *(क) क्या प्रजनन पदार्थ संपत्ति है?*
> ***(ख) यदि ऐसा है, तो क्या प्रजनन पदार्थ का पदार्थ याचिकाकर्ता को [ए.बी.] की निर्वसीयत संपत्ति के एकमात्र लाभार्थी के रूप में दी गई थी?***
> ***(ग) इस मामले की परिस्थितियों में, क्या न्यायालय याचिकाकर्ता को प्रजनन पदार्थ देने का आदेश दे सकती है, भले ही याचिकाकर्ता की भ्रूण बनाने के उद्देश्य से प्रजनन पदार्थ के उपयोग के लिए दाता की लिखित सहमति न हो?***

33. उपरोक्त निर्णय में विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के विभिन्न अन्य निर्णयों पर विचार किया गया, जिसमें पहला सवाल यह था कि क्या प्रजनन पदार्थ को संपत्ति माना जा सकता है। उपरोक्त निर्णय में, ***ईयरवर्थ बनाम नॉर्थ ब्रिस्टल एन.एच.एस. ट्रस्ट***, ***ड्रूडवार्ड बनाम स्पेंस***, केट ***जेन बाज़ले बनाम वेस्ले मोनाश आई.वी.एफ. पी.टी.वाई.एल.टी.डी.***, में निर्णयों पर विचार करने के बाद और ***जोसलीन एडवर्ड्स; सं. स्वर्गीय मार्क एडवर्ड्स की संपत्ति के अनुसार***, ब्रिटिश कोलंबिया का उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक व्यक्ति की प्रजनन पदार्थ को संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए।

34. ***के.एल. डब्ल्यू. बनाम जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर (पूर्वोक्त)*** के मामले में तीन मुद्दे उठे। पहला यह था कि क्या वीर्य संपत्ति होता है, और निर्णय के पैराग्राफ 95

में इसकी पुष्टि की गई थी। दूसरा मुद्दा यह था कि क्या संपत्ति माता-पिता को निर्वसीयत रूप से दी जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की निर्वसीयत संपत्ति की एकमात्र लाभार्थी पत्नी होती है। तीसरा मुद्दा यह था कि क्या वीर्य दी जानी चाहिए और क्या इसके लिए लिखित सहमति की आवश्यकता है। न्यायालय ने ***एलिजाबेथ वारेन बनाम देखभाल प्रजनन क्षमता (पूर्वोक्त)*** सहित विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के विभिन्न मामलों के निर्णयज विधियों का विश्लेषण किया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने उन मामलों पर भी चर्चा की जहां पति की इच्छाओं को दर्ज किया गया था, यहां तक कि आंशिक रूप से, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के निर्णय भी शामिल हैं, जहां सहमति अस्पष्ट हो सकती है। अंत में, निर्णय के पैराग्राफ 134 में, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को मृतक की प्रजनन पदार्थ का उपयोग करने की अनुमति नहीं देना उसकी गरिमा का अपमान होगा। न्यायालय ने किसी भी व्यावसायिक उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए, प्रजनन पदार्थ को याचिकाकर्ता की एकमात्र संपत्ति घोषित किया, जिसे उसके प्रजनन उपयोग के लिए भ्रूण बनाने के उद्देश्य से दिया जाना था। अंत में, निर्णय के पैराग्राफ 134 में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को मृतक की प्रजनन सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं देना उसकी गरिमा का अपमान होगा। न्यायालय ने किसी भी व्यावसायिक उपयोग को प्रतिबंधित

करते हुए, प्रजनन सामग्री को याचिकाकर्ता की एकमात्र संपत्ति घोषित किया, जिसे उसके प्रजनन उपयोग के लिए भ्रूण बनाने के उद्देश्य से जारी किया जाना था।

35. ***हेच्ट बनाम सुपीरियर कोर्ट*** में, कैलिफोर्निया के अपील न्यायालय, द्वितीय अपील जिला, डिवीजन सात द्वारा दो मुद्दों पर चर्चा की गई थी। एक मुद्दा यह था कि क्या स्वामित्व था, जिसका उत्तर सकारात्मक में दिया गया था और दूसरा मुद्दा यह था कि क्या नैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाना है या नहीं। दूसरे मुद्दे पर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह तर्क कि राज्य वास्तव में अनाथ बच्चों को जन्म देने की अनुमति देगा, एक मूल्यवान निर्णय है जिसे न्यायालय इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि राज्य पक्षकारगण के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस मामले में, मृतक के वीर्य के नमूने को संग्रहीत किया गया था और दावेदार उसकी प्रेमिका थी, और पिछली शादी से दो अन्य बच्चे वीर्य के नमूने को देने पर आपत्ति जता रहे थे।

36. ***रॉब्लिन बनाम द पब्लिक ट्रस्टी फॉर द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी,*** में ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या वीर्य मृतक की संपत्ति का हिस्सा होगा, जिसका उत्तर सकारात्मक दिया गया था, और अंडाणु और शुक्राणु को मानव ऊतक माना गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वह संपत्ति होगी, और स्वामित्व, जो मूल रूप से मृतक व्यक्ति के पास

था, मृत्यु के बाद विधिक प्रतिनिधियों के पास चला जाएगा और संपत्ति का हिस्सा बन जाएगा।

37. संदर्भ, ***एप्लीकेशन बाई वेरनॉन*** में, न्यू साउथ वेल्स के उच्चतम न्यायालय ने प्रजनन पदार्थ के मरणोपरांत पुनर्प्राप्ति पर विचार किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु के बाद भी प्रजनन पदार्थ प्राप्त की जा सकती है। इसने विधिक प्रतिनिधियों का एक अधिक्रम भी स्थापित किया, जिसमें पति या पत्नी को पहले, बच्चों को दूसरे और मृतक के माता-पिता को तीसरे स्थान पर रखा गया। न्यायालय ने आगे कहा कि प्रजनन पदार्थ का प्रत्यारोपण या तो किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में किया जा सकता है या फिर अनुसंधान, विकास और उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि जब दफनाए जाने वाले व्यक्ति के शरीर से वीर्य निकाल लिया जाता है, तो वह संपत्ति बन जाता है।

38. सुश्री अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत निर्णयों में अंतर किया।

(i) ***नंदिनी के. (पूर्वोक्त)*** के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत की कि केरल उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को मानती है कि प्रजनन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और यह कहने के निर्णय का

संदर्भ देती है कि ए.आर.टी., 2021 के अधिनियमन से पहले से ही शुरू की गई किसी भी प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है।

(ii) दूसरा, ***स्तुति राकेश पेंटर*** (***पूर्वोक्त***) में, मृतक व्यक्ति के वीर्य का उपयोग आई.वी.एफ./ए.आर.टी. प्रक्रियाओं को शुरू करने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और न्यायालय इस पर रोक नहीं लगाएगा।

(iii) ***राखी बोस (पूर्वोक्त)*** में भी, केरल उच्च न्यायालय ने पुनः माना कि गैमिटों की विक्रय, अंतरण और उपयोग पर प्रतिबंध है, और उक्त अधिनियम का उद्देश्य सहायक प्रजनन तकनीक क्लीनिकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करना है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर अतिक्रमण करना नहीं है।

39. अंत में, वह ***सास्वती मोहुरी बनाम भारत संघ*** के निर्णय पर भरोसा की और तर्क दी कि ए.आर.टी. अधिनियम में विभिन्न खामियां हैं, जिसे इस निर्णय के पैराग्राफ 13 में मान्यता दी गई है। खामियों में से एक यह तथ्य भी शामिल है कि आयु सीमा मेल नहीं खाती है — इस अर्थ में कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां निर्धारिती जोड़े में से एक व्यक्ति अनुमेय आयु-सीमा के भीतर हो सकता है, लेकिन फिर भी ए.आर.टी. का हकदार नहीं होगा, यदि उसका साथी आयु-सीमा को पार कर गया है। अंत में, ***सुचित्रा श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन*** पर भरोसा

किया गया और यह तर्क दिया गया कि किसी व्यक्ति का प्रजनन संबंधी पसंद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का एक हिस्सा है।

40. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुश्री राजश्री पाटिल के मामले पर भी प्रकाश डाली जहाँ माँ को बेटे के वीर्य से गर्भवती किया गया था, जिसका जर्मनी में कैंसर के कारण निधन हो गया था और उसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उक्त समाचार लेख नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *एक दिल को छू लेने वाली कहानी में, राजश्री पाटिल को पुणे में एक सरोगेट माँ से जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला है, जब उनके 27 वर्षीय बेटे प्रथमेश की दो साल पहले ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई थी। राजश्री ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के बजाय सरोगेट गर्भावस्था के लिए क्रायोप्रिजर्व्ड शुक्राणुओं का उपयोग किया। जुड़वा बच्चों का जन्म 12 फरवरी को हुआ था। उनका नाम प्रथमेश और प्रीशा (भगवान का उपहार) रखा गया।*
>
> *48 वर्षीय राजश्री ने कहा कि वह अपने बेटे से बहुत जुड़ी हुई थी जो शिक्षा में उत्कृष्ट था और जर्मनी में इंजीनियरिंग कर रहा था जब उसे मस्तिष्क में स्टेज IV कैंसर का पता चला था। उसने कहा कि डॉक्टरों ने उसके बेटे को कीमोथेरेपी और रेडीएशन शुरू करने से पहले उसके शुक्राणु को परिरक्षित करने के लिए कहा था। प्रथमेश, जो अविवाहित था, ने अपनी माँ और बहन को अपनी मृत्यु के बाद अपने वीर्य के नमूने का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी।*
>
> *राजश्री ने उन सभी को फटकार लगाई जिन्होंने उसे दादी कहा और कहा कि वह उनकी माँ हैं। राजश्री मुकुंदनगर के एक निजी स्कूल में शिक्षिका है। क्रायोप्रिजर्व किए गए शुक्राणु का उपयोग सरोगेट को निषेचित करने के लिए किया जाता है, जो परिवार से नहीं होता है।*

सिहबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक करने के बाद, 27 वर्षीय प्रथमेश मास्टर की पढ़ाई करने के लिए 2010 में जर्मनी चला गया था। 2013 में, उसे ब्रेन ट्यूमर का पता चला और उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। प्रथमेश का 3 सितंबर, 2016 को कैंसर से निधन हो गया। राजश्री ने कहा कि प्रथमेश की बहन ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जबकि वह खुद उसके बेटे की तस्वीर के साथ घर में घूम रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि वह अपने बेटे को उसके किसी अंग के साथ वापस ला सकती है जो अभी भी 'जीवित' है।

राजश्री ने जर्मनी में वीर्य बैंक में सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं और आई.वी.एफ. प्रक्रिया के लिए सह्याद्री अस्पताल से संपर्क किया। अस्पताल में आई.वी.एफ. विशेषज्ञ डॉ. सुप्रिया पुराणिक ने कहा कि आई.वी.एफ. प्रक्रिया काफी आम थी लेकिन मामला अनोखा था क्योंकि एक दुखी माँ अपने बेटे को वापस पाना चाहती थी।

भारत संघ की ओर से अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ

41. श्री किर्तीमान सिंह, विद्वान के.सर.स्था.अधि. ने अपने प्रस्तुति में दोहराया कि मृत बेटे के वीर्य के नमूने को देने की माँग का पूरा उद्देश्य सरोगेसी के माध्यम से संतानोत्पत्ति के लिए है। मृतक की माँ और पिता की आयु क्रमशः 66 और 61 वर्ष है। ऐसी परिस्थितियों में एस.आर.ए. के प्रावधानों अनुसार सरोगेसी संभव नहीं होगी।

42. ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** में निर्णय के संबंध में, विद्वान के.सर.स्था.अधि. ने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया एवं इस तथ्य को उजागर किया कि मरणोपरांत गर्भधारण को किसी भी अधिकार क्षेत्र में मान्यता नहीं दी गई है। वर्तमान मामले

में याचीगण यह चाहता है कि उनके बेटे की मृत्यु के बाद मरणोपरांत संतानोत्पत्ति का अधिकार है, जिसे मान्यता नहीं दी गई है, हालांकि प्रजनन के अधिकार को विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।

43. याचीगण जिन आधारों पर वीर्य का नमूना देने की माँग करता है, वे निम्नलिखित हैं;

(i) एक, पुत्र की संपत्ति के रूप में

(ii) दूसरा, मरणोपरांत प्रजनन के अधिकार की मान्यता के रूप में।

विद्वान के.सर.स्था.अधि. के अनुसार दोनों आधार विद्यमान विधि के तहत अनुपलब्ध हैं। के.सर.स्था.अधि. श्री सिंह के अनुसार आनुवंशिक पदार्थ में संपत्ति का दावा को सामान्य उत्तराधिकार नहीं माना जा सकता है।

44. अंत में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के ***श्री एच. सिद्दराजू और अन्य बनाम भारत संघ*** मामले में हाल के एक फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें एस.आर.ए. के तहत ऊपरी आयु सीमा में छुट देने के लिए न्यायालय द्वारा विभिन्न जाँच निर्धारित किए गए हैं। उक्त निर्णय में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन जांचों आनुवंशिक, शारीरिक और आर्थिक जांचों की संतुष्टि के बाद सरोगेसी की अनुमति दी। इस मामले में, महिला आयु सीमा के भीतर थी और पति की आयु उससे एक वर्ष अधिक है। उक्त जांचों को यह तर्क देने के लिए प्रयोग में

लाया गया कि इनमें से कोई भी जाँच वर्तमान मामले के तथ्यों को संतुष्ट नहीं कर सकता है।

45. जवाब में, सुश्री अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत की कि उक्त निर्णय में, न्यायालय स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि प्रजनन तकनीक के उपयोग को किसी भी तरह से रोकना न्यायालय के दायरे से बाहर है। उस मामले में, वीर्य के नमूने को नष्ट करने के निर्देश को अपास्त कर दिया गया था।

<u>भारत संघ की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ</u>

46. भारत संघ/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 मई, 2023, 24 जुलाई, 2023 और 6 सितंबर, 2023 को तीन संकलन अभिलेख पर रखे गए। उपरोक्त सामग्री के अलावा, अतिरिक्त सामग्री पर भरोसा किया गया, जो नीचे दी गई है:

क़ानून और विधान

- *जर्मन भ्रूण परिरक्षण अधिनियम धारा 1, धाराएँ 1 ई.एस.सी.एच.जी., 31-40।*
- *फ्रेंच लॉई एन° 2011-814,41-46।*
- *चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रजनन पर स्विस संघीय अधिनियम, 1988।*
- *मानव सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक पर उरुग्वे विनियमन;*

- *ऑस्ट्रेलियाई सहायता प्राप्त प्रजनन उपचार अधिनियम 2008।*
- *यूरोपीय संसद और परिषद, मानव ऊतकों और कोशिकाओं के दान करने, खरीदने, जाँच, प्रसंस्करण, परिरक्षण, संग्रहण और वितरण के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को निर्धारित करने पर 31 मार्च 2004 को जारी निर्देश 2004/23/ई.सी.*
- *यूरोपीय आयोग, निर्देश 2006/17/ई.सी. दिनांक 8 फरवरी 2006, जो मानव ऊतकों और कोशिकाओं के दान करने, खरीदने और जाँच करने के लिए कुछ तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में यूरोपीय संसद और परिषद के निर्देश 2004/23/EC को लागू करता है*

निर्णयज विधि

भारतीय निर्णय

- *नंदिनी के. बनाम भारत संघ,* केरल उच्च न्यायालय, निर्णय 19 दिसंबर 2022 को, 1-26, पैरा 10-11,13-14।
- *स्तुति राकेश पेंटर बनाम गुजरात राज्य,* गुजरात उच्च न्यायालय, निर्णय/आदेश 29 जुलाई 2021 को, 27-30, पैरा 4-5।
- *राखी बोस बनाम भारत संघ,* केरल उच्च न्यायालय, निर्णय/आदेश दिनांक 21 जून 2022 को, 31-42, पैरा 6-7।

- *अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ और अन्य,* उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 7 फरवरी 2023 को, रिट याचिका सं. 756/2022, 43-44
- *श्री एच. सिद्धराजू और अन्य बनाम भारत संघ*

विदेशी निर्णय

- *लुइसविले और नैशविले रेलरोड बनाम विल्सन;*
- *विलियम्स बनाम विलियम्स;*
- *डूडेवार्ड बनाम स्पेंस;*
- *ईयरवर्थ बनाम नॉर्थ ब्रिस्टल एन.एच.एस. ट्रस्ट;*
- *डेविस बनाम डेविस 26;*
- *हेच बनाम सुपीरियर कोर्ट;*
- *जे.सी.एम. बनाम ए.एन.ए.;*
- *एस.एच बनाम डी.एच.*
- *एकपक्षीय*
- *रॉबर्टसन बनाम सादत और अन्य, कैलिफोर्निया राज्य की अपील न्यायालय, दूसरा अपील जिला, डिवीजन*

लेख/कागजात और रिपोर्ट

- एंटनी मूसा और पलाडा धर्म तेजा, 'द ग्रेव इशू ऑफ़ प्राइवेसी ऑफ़ द डिसीस्ड' (2018) 5 (1) आई.जे.एल.पी.पी. 1, 1-17
- रॉबर्ट पी.एस. जानसेन, 'स्पर्म एंड ओवा एज प्रॉपर्टी' (1985) 11(3) जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स 123-16
- इरिना चेकोव्स्का और अन्य, 'पोस्टमॉर्टल एंड पोस्टहुमस रिप्रोडक्शनः एथिकल एंड लीगल एप्रोच टू द प्राब्लम '(2021) 1 जर्नल ऑफ लीगल एथिकल एंड रेगुलेटरी इश्यूज 1,1-8
- हाशीलोनी-डोलेव वाई और स्किकटान्ज़ एस, 'ए क्रॉस-कल्चरल एनालिसिस ऑफ पास्चमस रिप्रोडक्शनः द सिग्निफिकेन्स ऑफ जेंडर एंड मार्जिन ऑफ लाइफ पर्सपेक्टिव्स' (2017) रिप्रोडक्टिव बायोमेडिसिन एंड सोसाइटी ऑनलाइन 4: 21-32, 9-30
- असितिक सीकरी और राजेशव बारडाले, 'पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ डिवेलपिंग कन्ट्रीज ऑफ़ द इंडियन सबकंटीनेंट' (2016) 9 जर्नल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइंसेज 82, 47-50
- पेनिंग्स जी, 'बेल्जियन लॉ ऑन मेडिकली असिस्टेड रीप्रडक्शन एंड द डिस्पज़िशन ऑफ़ सुपरनुमरेरी एम्ब्रीओज एंड गैमेट्स' यूरोपीय जर्नल ऑफ हेल्थ लॉ 81-160

- ई.एस.एच.आर.ई. टास्क फोर्स, 'एथिक्स एंड लॉ 11: पास्चमस एसिस्टेड रीप्रडक्शन'(2020) 388-391.
- पास्चमस कलेक्शन एंड यूज ऑफ़ रीप्रडक्टिव टिशू: ए कमिटी ओपिनियन (2020) 328-331।

अंतर्राष्ट्रीय विधिक सामग्री

- *डब्ल्यू.एच.ओ. गाइडिंग प्रिन्सपल ऑन ह्यूमन सेल, टिशू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, 332-340।*

47. भारत संघ द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुतियों में उठाए गए अतिरिक्त आधार इस प्रकार हैं:

- याचीगण का न्यूयॉर्क राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** निर्णय पर भरोसा करना गलत है। ***रॉबर्टसन बनाम सादत (पूर्वोक्त)*** में कैलिफोर्निया की अपील न्यायालय ने इसी तरह की अपील को खारिज कर दिया और ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** से असहमत थी। कैलिफोर्निया के न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न तो राज्य का निर्वसीयतता विधि और और न ही यूनिफ़ॉर्म एनाटॉमिकल गिफ्ट एक्ट पति या पत्नी द्वारा मरणोपरांत गर्भधारण के लिए प्रजनन सामग्री के उपयोग पर लागू होता है। न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि अंग दाता कार्ड पर हस्ताक्षर करना या बच्चे

पैदा करने की इच्छा व्यक्त करना मरणोपरांत गर्भधारण के लिए किसी की प्रजनन पदार्थ के उपयोग के लिए सहमति का संकेत नहीं देता है।

- मरणोपरांत प्रजनन अधिकारों में जटिल नैतिक, विधिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्न शामिल हैं, और इन मुद्दों के उत्तर विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में अलग-अलग हैं। प्रत्यर्थी का तर्क है कि इस तरह के प्रश्नों को काल्पनिक परिदृश्यों के बजाय विशिष्ट मामलों में संबोधित किया जाना चाहिए।
- 1 सितंबर, 2020 को याचीगण के बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद, वर्तमान रिट याचिका 23 दिसंबर, 2021 को दायर की गई थी, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल के माध्यम से सरोगेसी के लिए उसके हिमीकृत वीर्य के नमूने देने की माँग की गई थी। हालाँकि, ए.आर.टी. अधिनियम और एस.आर.ए. को संसद द्वारा क्रमशः 18 दिसंबर, 2021 और 25 दिसंबर, 2021 को अधिनियमित किया गया था, जिसमें बाद वाले को 25 जनवरी, 2022 को लागू किया गया था। याचीगण इन अधिनियमों के तहत सरोगेसी के हकदार नहीं हैं, और यह तथ्य कि वीर्य का नमूना उनके अधिनियमन से पहले एकत्र किया गया था, याचीगण को इन दोनों अधिनियमों के अनुपालन से छूट नहीं देता है। सरोगेसी सहित सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के लाभ चाहने वाले सभी व्यक्तियों को उक्त दो अधिनियमों का पालन करना चाहिए।

48. मरणोपरांत प्रजनन के संबंध में, भारत संघ ने 24 जुलाई, 2023 को अपनी लिखित प्रस्तुतियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तर्क दिया हैः

- मरणोपरांत प्रजनन या ***'पी.आर.'*** एक या दोनों आनुवंशिक माता-पिता की मृत्यु के बाद सहायक प्रजनन तकनीक *('ए.आर.टी.')* का उपयोग करके बच्चे को गर्भ धारण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें मृत या मस्तिष्क-मृत व्यक्ति से परिरक्षित या नए एकत्र किए गए शुक्राणु या अण्डाणु का उपयोग करके उत्तेजित स्खलन, सूक्ष्म अधिवृषण शुक्राणु चूषण *('एम.ई.एस.ए.'),* वृषण शुक्राणु संग्रहण *('टी.एस.ए.')* जैसी तकनीकें शामिल हैं।
- मोटे तौर पर, पी.आर. को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः नियोजित पी.आर., अनियोजित पी.आर., ब्रेन-डेड पी.आर. और स्टेम सेल पी.आर.। वर्तमान याचिका के संदर्भ में, नियोजित पी.आर. पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्रजनन के लिए संग्रहीत गैमिटों के उपयोग के लिए स्पष्ट सहमति एक सर्वोत्कृष्ट आवश्यकता है। वर्तमान मामला इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, क्योंकि मरणोपरांत प्रजनन के लिए मृतक के हिमीकृत हुए शुक्राणु के उपयोग के लिए कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। यह उन अधिकार क्षेत्रों में एक मूलभूत शर्त है जहां अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ-साथ पी.आर. की अनुमति है।

- पी.आर. दुनिया भर में विभिन्न विधिक दृष्टिकोणों सहित एक विवादास्पद मुद्दा है। भारत संघ के अनुसार, पी.आर. की अनुमति देने वाले अधिकार क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मृतक की स्पष्ट सहमति है, जो अक्सर लिखित रूप में होती है। जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड जैसे देश पी.आर. को या तो पूरी तरह से या सांस्कृतिक या धार्मिक कारणों से प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि, उरुग्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया (विक्टोरिया), कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश सख्त शर्तों के तहत पी.आर. की अनुमति देते हैं, जो मुख्य रूप से मृतक पर निर्भर करता है जो मृत्यु के बाद अपने गैमिटों के उपयोग के लिए स्पष्ट, लिखित सहमति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कई अधिकार क्षेत्रों में, पी.आर. के साथ आगे बढ़ने से पहले नियामक निकायों की मंजूरी और संभावित बच्चे की भलाई पर विचार करने जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
- प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि पी.आर. के लिए नमूना जारी करने के लिए याचीगण का अनुरोध मरणोपरांत प्रजनन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। भारत संघ के अनुसार, मृतक ने पी.आर. के लिए अपने हिमीकृत शुक्राणु के उपयोग के लिए कोई लिखित या मौखिक सहमति प्रदान नहीं की, जो उन देशों में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जहां पी.आर. की अनुमति है। दूसरा, मृतक अविवाहित था, और कई अधिकार क्षेत्र केवल विवाहित दंपतियों

के लिए पी.आर. की अनुमति देते हैं। सहमति के बिना, याचीगण का मामला किसी भी अधिकार क्षेत्र में पी.आर. की शर्तों को पूरा नहीं करता है। मृतक के माता-पिता को प्रजनन के लिए गैमीट के उपयोग करने का कोई स्वतः अधिकार नहीं है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रजनन अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देता है, लेकिन दुनिया भर में कोई भी अधिकार क्षेत्र यह नहीं मानता है कि ऐसा अधिकार पी.आर. को सक्षम बनाता है।

49. वीर्य को संपत्ति के रूप में मानने के संबंध में, भारत संघ का रुख यह है कि पारंपरिक रूप से, शुक्राणु सहित मानव शरीर के अंगों को इंग्लैंड में स्थापित 'संपत्ति-नहीं' नियम के तहत संपत्ति नहीं माना जाता था, जहां ऐसे पदार्थों को *किसी की भी संपत्ति नहीं* माना जाता था। ***लुइसविले और नैशविले रेलरोड (पूर्वोक्त)*** में जॉर्जिया के उच्चतम न्यायालय सहित न्यायालयों ने मानव अवशेषों के नैतिक और भावनात्मक मूल्य पर जोर दिया, जो उन्हें सामान्य संपत्ति से अलग करते हैं। हालांकि, समय के साथ, विधिक परिप्रेक्ष्य बदल गया है। ***इडेवार्ड बनाम स्पेन्स (पूर्वोक्त)*** जैसे मामलों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, यह मानते हुए कि शरीर के अंग, एक बार हटाए जाने के बाद, संपत्ति के अधिकारों के अधीन हो सकते हैं। उस मामले में निर्धारित अवधारणा को ***ईयरवर्थ (पूर्वोक्त)*** में और विस्तारित किया गया था, जहां यू.के. का अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

था कि शुक्राणु उन पुरुषों के स्वामित्व वाली संपत्ति है जिन्होंने इसे प्रदान किया था, भले ही यह उनके शरीर को छोड़ने के बाद भी निकाला गया हो। बाद के फैसलों ने शुक्राणु और अन्य प्रजनन पदार्थ को संपत्ति माना है।

<u>याचीगण की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ</u>

50. याचीगण ने 11 सितंबर, 2023 को अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज की। उपरोक्त सामग्री के अलावा, अतिरिक्त सामग्री पर भरोसा किया गया था, जो नीचे दी गई है:

निर्णयज विधि

भारतीय निर्णय

- *मैसर्स शांति कंडक्टर बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड (2016) (15 एस.सी.सी. 13)*
- *श्री एच. सिद्दराजू (पूर्वोक्त)*

विदेशी निर्णय

- *एलिजाबेथ वारेन बनाम केयर फर्टिलिटी (नॉर्थम्प्टन) लिमिटेड*
- *एम बनाम एच.एफ.ई.ए.*
- *एस.बी. बनाम एथर्लिन विश्वविद्यालय*

- *जेनिंग्स बनाम ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी*
- *ईयरवर्थ (पूर्वोक्त)*
- *के.एल. डब्ल्यू. बनाम जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर (पूर्वोक्त)*
- *हेक बनाम सुपीरियर कोर्ट (पूर्वोक्त)*
- *री ज़ुच, न्यूयॉर्क का उच्चतम न्यायालय, वेस्टचेस्टर काउंटी*
- *री एच.ए.ई.*
- *री एच.ए.ई. ए.ओ.*
- *रॉब्लिन वी. द पब्लिक ट्रस्टी फ़ॉर द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एंड एनोर*
- *इन नून बनाम गिनी लिमिटेड*
- *एप्लीकेशन बाई वर्नोन*
- *री एस्टेट ऑफ एडवर्ड्स*
- *चैपमैन बनाम साउथ ईस्टर्न सिडनी लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट*
- *बाजले बनाम वेस्ले मोनाश आई.वी.एफ. प्रोप्राइटरी लिमिटेड*
- *रे क्रेसवेल*

लेख/कागजात और रिपोर्ट्स

- नोफर याकोवी गान-ऑर, बीकमिंग पोस्टेरिटी: द राइट टू पास्चमस ग्रैंडपेरेंटहुड एंड द प्रॉब्लम फ़ॉर लॉ' (2019) कोलंबिया जर्नल ऑफ़ जेंडर एंड

लॉ1 (भावी संतति: मरणोपरांत दादा-दादी बनने का अधिकार और विधि के लिए समस्या' (2019) कोलंबिया जर्नल ऑफ जेंडर एंड लॉ)।

51. याचीगण ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में कहा कि वर्तमान रिट ए.आर.टी. अधिनियम के लागू होने से पहले 21 दिसंबर, 2021 को दायर की गई थी। ***शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि ए.आर.टी. अधिनियम, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा जाए भविष्यलक्षी रूप से लागू होता है। इसलिए, ए.आर.टी. अधिनियम वर्तमान याचिका के इन तथ्यों पर लागू नहीं होता है, जहां मृतक के वीर्य के नमूने को 27 जून 2020 को हिमीकृत किया गया था और इसे देने का अनुरोध 21 दिसंबर, 2020 को किया गया था।

52. इसके अलावा, एक उभरती हुई घटना के रूप में मरणोपरांत दादा-दादी बनने (इसके बाद, 'पी.एम.जी.') की अवधारणा को मरणोपरांत प्रजनन (*इसके बाद, 'पी.एम.आर.')* के व्यापक कार्य प्रणाली के भीतर चर्चा की गई है, जहां किसी मृत व्यक्ति के गैमिटों का उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। पी.एम.जी. में, शोक संतप्त माता-पिता अपने मृत बच्चे के वीर्य के नमूने का उपयोग आनुवंशिक रूप से संबंधित पोते-पोती को पैदा करने के लिए करते हैं, जो निरंतरता की इच्छा को पूरा करते हैं और मृतक के साथ संबंध बना रहता है। याचीगण के अनुसार, इसे अक्सर स्मरणीय कृत्य के रूप में, जो मृतक की संतान के पिता बनने की कथित इच्छा

को पूरा करता है। पी.एम.जी. का अनुसरण करने वाले माता-पिता का मानना है कि उनके पास अपने बच्चे की प्रजनन प्राथमिकताओं के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर कार्य करने का अधिकार है। पी.एम.जी. और पी.एम.आर. कार्य प्रणाली की व्यापकता को दर्शाने के लिए कई उदाहरणों पर भरोसा किया गया है।

53. सहमति के पहलू पर, याचीगण ने कहा कि हालांकि कई अधिकार क्षेत्रों में, न्यायालयों ने निहित या अनुमानित सहमति के आधार पर या मृतक को स्पष्ट सहमति देने का अवसर न मिलने के कारण मरणोपरांत प्रजनन के पक्ष में निर्णय दिया है। ऊपर उद्धृत उपरोक्त मामलों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि यू.के. ने विभिन्न मामलों ने अस्पष्ट या बिना लिखित सहमति के प्रजनन के लिए गैमीट के मरणोपरांत उपयोग करने की अनुमति दी है।

<u>वर्तमान रिट की पोषणीयता</u>

54. अस्पताल ने वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अस्पताल भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' नहीं है, और इस प्रकार, इसके खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता, ***संजीव गुलाटी (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा किया और तर्क दिया कि लोक कर्तव्यों का पालन करने वाले निजी अस्पताल भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत आते हैं, और रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। यह तर्क दिया

गया कि चूँकि अस्पताल लोक कृत्य कर रहा था, इसलिए यह दावा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता था कि वर्तमान रिट पोषणीय नहीं है।

55. ***संजीव गुलाटी (पूर्वोक्त)*** में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है। उक्त मामले के तथ्य यह थे कि दो याचिकाकर्ता, दोनों सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी के कर्मचारियों ने नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस न्यायालय का रुख किया था। दुराचार के आरोपों का सामना कर रहे पहले याचिकाकर्ता ने अस्पताल की जाँच प्रक्रिया का विरोध करते हुए दावा किया कि यह विधिक प्रतिनिधित्व के बिना अनुचित तरीके से किया गया था। दूसरे याचिकाकर्ता, जिसे आठ साल बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, ने बर्खास्तगी को मनमाना, बिना जाँच या सुनवाई के, और द्वेष से प्रेरित बताते हुए चुनौती दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के संबंध में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी संस्था को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जो सार्वजनिक हो — इस तरह की कार्रवाई को विधि में स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है; दायित्व अपनी प्रकृति से स्पष्ट होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उपयोग किए गए शब्द 'कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी' राज्य के क़ानूनी प्राधिकारों और लिखतों तक ही सीमित नहीं हैं; इसमें ***'लोक कर्तव्य'*** का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति/निकाय शामिल है। संस्थान का नामकरण अप्रासंगिक है; प्रासंगिकता निकाय को सौंपे गए कर्तव्य की प्रकृति है। यह कर्तव्य संबंधित

व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रभावित पक्षकार के प्रति सकारात्मक दायित्व है, चाहे ऐसा कर्तव्य किसी भी माध्यम से सौंपा गया हो।

56. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि रिट पोषणीय नहीं है, क्योंकि रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा निजी कानून के तत्व से संबंधित था, अर्थात, किसी संविदा से उत्पन्न रोजगार विवाद, जिसमें कोई लोक कृत्य शामिल नहीं था। इस प्रकार, रिट को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> *12. संजय गुप्ता बनाम डॉ. श्रॉफ का चार्ली आई हॉस्पिटल, 2002 (62) डी.आर.जे. 368 के रूप में प्रतिवेदित किए गए इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के फैसले को देखते हुए इस मुद्दे पर आगे की बहस की आवश्यकता नहीं है। किसी निजी धर्मार्थ अस्पताल में काम करने वाले एक कर्मचारी को बर्खास्त करने के आदेश को रिट कार्यवाही में चुनौती दी गई थी। **न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में, संविदा के निबंधन और शर्तों का स्वरूप निजी है, और इसमें सार्वजनिक विधि के कार्य शामिल नहीं हैं। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अस्पताल के लोक महत्व के कार्यों के कारण रिट कार्यवाही पोषणीय है।** यहाँ भी, अस्पताल पर जो भी अन्य दायित्व हैं, जो सार्वजनिक प्रकृति के हो सकते हैं, रोजगार के संविदा, अनुशासनिक कार्रवाई और बर्खास्तगी आदेश उन गतिविधियों के विवरण का जवाब नहीं देते हैं जो आंतरिक रूप से सार्वजनिक प्रकृति के हैं। इसलिए, ऊपर दिए गए निर्णयों के आलोक में, विशेष रूप से बिन्नी लिमिटेड के मामले; फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस, (2003) 10 एस.सी.सी. 733 और संजय गुप्ता बनाम डॉ. श्रॉफ चार्ली आई हॉस्पिटल, 2002 (62) डी.आर.जे. 368 में **यह अभिनिर्धारित***

<u>किया जाना चाहिए कि याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं, क्योंकि विवाद सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं आता है।</u>

प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम भारत संघ, 1991 पूर. (2) एस.सी.सी. 12 : सी.एल. सुब्रमण्यम बनाम सीमा शुल्क कलक्टर, (1972) 3 एस.सी.सी. 542: ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 2178, पर भी याचीगण द्वारा भरोसा किया गया और यह कहा गया कि विधि व्यवसायी प्रदान करने में विफलता ने कार्यवाही के संचालन को दूषित कर दिया, और इसे मनमाना बना दिया, और इस प्रकार, रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन है। ***<u>मेरी राय है कि इस तरह की कथित गलत कार्रवाई पर सिविल कार्यवाही में सवाल उठाया जा सकता है; या औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार, जैसा भी मामला हो; भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका न तो उचित होगी और न ही पोषणीय होगी।</u>***

<u>14. उपरोक्त याचिकाओं और आवेदनों को बिना किसी जुर्माना के आदेश के खारिज किया जाता है। सभी अंतरिम आदेशों को निरस्त किया जाता है। याचीगण को ऐसी विधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है जो वे चुन सकते हैं, और जो विधि में उपलब्ध है। पक्षकारगण के सभी अधिकार और तर्क अनिर्णीत हैं।</u>

57. उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से वर्तमान रिट के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। सबसे पहले, यह निर्णय पूरी तरह से इस विचार पर दिया गया था कि निजी विवाद जैसे कि रोजगार विवाद रिट याचिका के माध्यम से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं। दूसरा, न्यायालय ने संविदा विवादों को उन कार्यों का हिस्सा नहीं माना जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि रिट कार्यवाही इस

आधार पर पोषणीय है कि अस्पताल के कार्य लोक महत्व के हैं। स्पष्ट रूप से, रोजगार विवाद अस्पताल के लोक कृत्यों का हिस्सा नहीं है।

58. हालाँकि, वर्तमान रिट में, तथ्य पूरी तरह से अलग हैं। यहाँ एक ऐसी स्थिति है जहाँ वीर्य के नमूने को अस्पताल की आई.वी.एफ. प्रयोगशाला में संग्रहीत किया गया है। याचिकाकर्ता को वीर्य का नमूने देने के लिए कोई अनुकल्पी उपाय मौजूद नहीं है। एक आसन्न खतरा है कि उक्त नमूने को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे याचीगण के जो भी विधि में अधिकार हैं, निष्फल हो जाएंगे। दाता की मृत्यु के बाद वीर्य के नमूने का अंतरण कैसे होगा, यह प्रदर्शित करने के लिए अस्पताल द्वारा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं रखा गया है। अस्पताल के अपने रुख के अनुसार, किसी भी दिशानिर्देश या विनियमों के अभाव में, अस्पताल मृतक के हिमीकृत वीर्य का नमूना देने के संबंध में कोई निर्णय लेने में असमर्थ है।

59. उपरोक्त स्थिति पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचीगण को इस अनूठी स्थिति में उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है और उसे सिविल न्यायालय में भी नहीं भेजा जा सकता है। इस न्यायालय की राय में, वीर्य के नमूनों को हिमीकृत करने और ऐसे नमूने प्रदान करने वाले व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को उन्हें देने से संबंधित प्रश्न निस्संदेह एक लोक कृत्य है, जिससे अस्पताल के कार्यों या निष्क्रियता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आती है।

60. इस संदर्भ में, ***बिन्नी लिमिटेड और अन्य बनाम वी. सदाशिवन*** में उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रासंगिक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'रिट' एक सार्वजनिक विधिक उपाय है, और जब इसे विशुद्ध रूप से निजी प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है, तो लोक कृत्यों और निजी कार्यों के बीच एक रेखा खींचना मुश्किल है। कोई निकाय "लोक कृत्य" तब कर रहा होता है, जब वह जनता या जनता के एक वर्ग के लिए कुछ सामूहिक लाभ प्राप्त करना चाहता है और जनता या जनता के उस वर्ग द्वारा ऐसा करने के प्राधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए निकाय लोक कृत्य तब करते हैं जब वे जनहित में सामाजिक या आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं या भाग लेते हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> *10. परमादेश रिट किसी लोक या क़ानूनी कर्तव्य के निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए है। परमादेश के विशेषाधिकार उपचार ने लंबे समय से लोक प्राधिकारियों द्वारा लोक कर्तव्यों को लागू करने के सामान्य साधन प्रदान किए हैं। मूल रूप से, आरंभिक परमादेश रिट केवल संप्रभु से अधीनस्थों के लिए एक प्रशासनिक आदेश था। इंग्लैंड में, शुरुआती समय में, इसे आम तौर पर कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था, जब केंद्र सरकार के पास अपनी खुद की बहुत कम प्रशासनिक तंत्र थी। प्रारंभिक निर्णयों से पता चलता है कि सभी प्रकार के लोक कर्तव्यों को लागू करने के लिए रिट का स्वतंत्र उपयोग किया गया था, उदाहरण के लिए निम्न अधिकरणों के खिलाफ जो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर देते थे या नगर निगम के खिलाफ जो विधिवत चुनाव, बैठकें आदि आयोजित नहीं करते थे। आधुनिक समय में, लोक प्राधिकारियों के क़ानूनी*

कर्तव्यों को लागू करने के लिए परमादेश का उपयोग किया जाता है। न्यायालयों ने हमेशा उस उपाय को रोकने का विवेकाधिकार बनाए रखा जहां इसे प्रदान करना न्याय के हित में नहीं होगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोक प्राधिकारियों को सौंपा गया क़ानूनी कर्तव्य विवेकाधीन नहीं हो सकता है। लोक कर्तव्य जो क़ानूनी हैं और केवल संविदा से उत्पन्न होने वाले कर्तव्यों द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं, के बीच हमेशा एक अंतर किया गया था। संविदात्मक कर्तव्य निजी विधि के मामलों के रूप में सामान्य संविदात्मक उपचार जैसे कि नुकसान, व्यादेश, विशिष्ट प्रदर्शन और घोषणा द्वारा लागू किए जा सकते हैं। सर विलियम वेड और क्रिस्टोफर फोर्सिथ द्वारा ऐड्मिनिस्ट्रेटिव लॉ (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) (नौवां संस्करण) पृष्ठ 621 पर निम्नलिखित राय व्यक्त की गई है: -

*29. **इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि परमादेश रिट या अनुच्छेद 226 के तहत उपचार प्रमुख रूप से एक सार्वजनिक विधिक उपचार है और आम तौर पर निजी गलतियों के खिलाफ उपचार के रूप में उपलब्ध नहीं है।** इसका उपयोग जनता के विभिन्न अधिकारों को लागू करने या लोक/क़ानूनी प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी सीमा के भीतर कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग न्याय करने के लिए किया जा सकता है जब सत्ता का गलत प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने से इनकार किया जाता है। **यह रिट प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के रूप में काम करने के लिए सराहनीय रूप से रूप से सुसज्जित है। यह रिट किसी भी निजी निकाय या व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त किए गए शब्दों को देखते हुए। हालांकि, परमादेश का दायरा लोक कर्तव्य के लागू करने तक सीमित है। परमादेश का दायरा उस प्राधिकारी की पहचान के बजाय लागू किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निर्धारित होता है, जिसके खिलाफ इसकी माँग की जाती है। यदि निजी निकाय किसी लोक कृत्य का निर्वहन कर रहा है और किसी भी अधिकार से इनकार ऐसे***

निकाय को सौंपे गए लोक कृत्य के संबंध में है, तो सार्वजनिक कानूनी उपचार लागू किया जा सकता है। लोक निकाय को सौंपा गया कर्तव्य या तो क़ानूनी या अन्यथा हो सकता है और ऐसी शक्ति का स्रोत महत्वहीन है, लेकिन, फिर भी, ऐसी कार्रवाई में सार्वजनिक विधि का तत्व होना चाहिए। कभी-कभी, को सार्वजनिक विधि और निजी विधि के उपचारों के बीच अंतर करना मुश्किल होता है।

30. कोई भी संविदा केवल इसलिए क़ानूनी नहीं हो सकता है क्योंकि यह लोक उपयोगिता के निर्माण के लिए है और उसे एक क़ानूनी निकाय द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन फिर भी यह देखा जा सकता है कि सरकार या सरकारी प्राधिकारी सभी स्तरों पर अपने नियामक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक तकनीकों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि उन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र से मुक्त है और ऐसी शक्तियों के प्रयोग की कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांतों का उपयोग संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जब उस संविदात्मक शक्ति का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए उत्तरदायी है। शक्ति का उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए न कि अनुचित रूप से।

32. इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि एक निजी निकाय के खिलाफ परमादेश रिट जारी की जा सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य नहीं है और ऐसा निकाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी पक्ष द्वारा चुनौती दी गई कार्रवाई की न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। लेकिन वह सार्वजनिक विधि का तत्व होना चाहिए और इसका उपयोग पक्षकारगण के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी संविदा को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

61. वर्तमान मामले के तथ्य में, मानव प्रजनन पदार्थ पर नियंत्रण, उदाहरण के लिए, वीर्य का नमूना, अंडाणु के नमूने और मानव प्रजनन पदार्थ का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण लोक कृत्य है। मानव प्रजनन पदार्थ के प्रबंधन, परिरक्षण और संभावित निर्मुक्ति में महत्वपूर्ण नैतिक, सामाजिक और विधिक विचार शामिल हैं जो निजी संविदात्मक संबंधों से परे हैं। पारिवारिक वंश, प्रजनन अधिकारों और संभावित भावी पीढ़ियों पर इसके महत्वपूर्ण प्रभावों को देखते हुए मानव प्रजनन पदार्थ पर इस तरह का नियंत्रण एक महत्वपूर्ण लोक कृत्य है। केवल इसलिए कि मानव प्रजनन पदार्थ के उपयोग और देने के संबंध में दाताओं और आई.वी.एफ. क्लीनिकों के बीच संविदा किए जाते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई सार्वजनिक कानून का तत्व नहीं है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, वर्तमान रिट पोषणीय है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

62. वर्तमान याचिका संतान जन्म देने से संबंधित विधिक और नैतिक मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है। याचीगण मृतक के माता-पिता हैं जो अपने बेटे की विरासत को जारी रखने के उद्देश्यों के लिए वीर्य के नमूने का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। बेटे की निर्वसीयत मृत्यु हो गई। वे मृत्यु के समय अविवाहित थे और उनका कोई जीवनसाथी या पति या पत्नी भी नहीं था। इस प्रकार, उसके मुख्य विधिक उत्तराधिकारी उसके माता-पिता हैं।

63. न्यायालय एक ऐसी भयावह स्थिति का सामना कर रहा है जिसमें उसके आदेश का प्रभाव मृतक के माता-पिता को अपने बेटे की अनुपस्थिति में पोते को जन्म देने की अनुमति देने पर पड़ सकता है। विधिक मुद्दों के अलावा, ऐसे नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दे हैं जिसका ऐसी स्थिति में न्यायालय सामना कर रहे हैं। हालाँकि, उठाए गए मुद्दों का निर्णय केवल मौजूदा विधिक और क़ानूनी ढांचे के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य बाहरी सामग्री के आधार पर।

64. वर्तमान में प्रचलित विधि व्यवस्था केवल दो अधिनियमितियों के रूप में है, अर्थात् ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 और सरोगेसी अधिनियम। ये दोनों कानून उस तथ्यात्मक स्थिति पर विचार नहीं करते हैं जिसका न्यायालय वर्तमान में सामना कर रहा है। कानून उस परिदृश्य पर भी विचार नहीं करता है जैसा कि वर्तमान मामले में उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से एक कानूनी शून्यता है।

65. न्यायालयों की मृत्युदंड देने या जीवन का अंत करने की शक्तियाँ, उदाहरण के लिए इच्छामृत्यु आदि के मामलों में, अतीत में या तो आपराधिक विधिशास्त्र के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत घोषित की गई हैं। हालाँकि, अब तक, न्यायालय को भारत में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहाँ उसका आदेश वास्तव में जीवन या बच्चे के जन्म का कारण बन सकता है। यह वह परिदृश्य है जिसमें न्यायालय को वर्तमान मामले का निपटान करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

66. इस मामले में पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता विभिन्न अधिकार क्षेत्रों से रखे गए विधिक उदाहरणों और सामग्री की मात्रा के लिए विशेष श्रेय के पात्र हैं। इन निर्णयों और सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि दुनिया भर के न्यायालयों ने इसी तरह की स्थितियों पर विचार किया है और उक्त देशों में प्रचलित विधिक स्थिति के आधार पर निर्णय दिए हैं। लेकिन इन सभी निर्णयों में आम बात यह है कि न्यायालयों ने दुविधा का सामना किया है, खासकर तब जब वीर्य के नमूने को देने की प्रार्थना अभी तक पैदा नहीं हुए बच्चे के प्रस्तावित दादा-दादी द्वारा की गई है। इसलिए, आगे बढ़ने से पहले, पहला कदम अन्य देशों के विभिन्न न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करना होगा जिसे न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

क. <u>पक्षकारगण द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का विश्लेषण।</u>

67. ***हैच्ट (पूर्वोक्त) (1993)*** में, कैलिफोर्निया की अपील न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें दावेदार मृतक की प्रेमिका थी और मृतक के वयस्क बच्चों ने उसका विरोध किया था। मृतक ने अपने शुक्राणु को एक शुक्राणु बैंक में संग्रहीत किया था जिसे उसने निर्देश दिया था कि दावेदार शुक्राणु का हकदार है यदि वह गर्भवती होना चाहती है। स्थानीय कचहरी ने मृतक के शुक्राणु को नष्ट करने का आदेश दिया था जो शुक्राणु बैंक के नियंत्रण में था। उसी के खिलाफ दावेदार ने अपील की थी। मृतक के पिछली शादी से दो वयस्क बच्चे थे।

68. कैलिफोर्निया के अपील न्यायालय ने दो मुख्य मुद्दों पर विचार किया। पहला, क्या दावेदार की परिरक्षित शुक्राणु में रुचि थी और दूसरा, क्या कोई लोक नीति का मुद्दा था, जो प्रेमिका के कृत्रिम गर्भाधान को प्रतिबंधित करता था, जो विवाहित महिला नहीं थी, विशेष रूप से मृतक के बच्चों के कहने पर, जिन्होंने महसूस किया कि अन्य साधन थे जिसके द्वारा वह मृतक की मृत्यु के बाद गर्भवती हो सकती थी।

69. कैलिफोर्निया की अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी हित थी, जो शुक्राणु पर स्वामित्व की प्रकृति की थी। उसके पास निर्णय लेने का अधिकार भी था कि प्रजनन के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। पदार्थ की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वह संपत्ति होगी। न्यायालय ने माना कि प्रासंगिक समय पर, मानव शरीर में संपत्ति अधिकारों के संबंध में विधिक स्थिति अस्थिर थी, क्योंकि निर्णयज विधि ने ऐतिहासिक रूप से मानव शरीर में संपत्ति के अधिकार को मान्यता देने से इनकार किया था, या केवल अर्ध-संपत्ति अधिकार को मान्यता दी थी।

70. ***डैविस (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा करते हुए, कैलिफोर्निया की अपील न्यायालय ने कहा कि शुक्राणु जो इसके प्रदाता द्वारा संग्रहीत किया जाता है, इस इरादे से कि इसका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाए, इस प्रकार अन्य मानव ऊतकों के ***विपरीत*** है क्योंकि यह गेमेटिक सामग्री है, जिसका उपयोग प्रजनन के लिए

किया जा सकता है। कैलिफोर्निया के अपील न्यायालय के लिए, शुक्राणु का मूल्य निषेचन, विकास और जन्म के बाद बच्चे को पैदा करने की क्षमता में निहित है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपनी मृत्यु के समय, मृतक का स्वामित्व की प्रकृति में इस सीमा तक हित था कि **प्रजनन के लिए अपने शुक्राणु के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उसके पास था।** इस तरह का हित प्रोबेट कोड के अर्थ के भीतर "संपत्ति" का गठन करने के लिए पर्याप्त था। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> *डेविस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि द अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी का सुझाव है कि 'संस्थागत नीतियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, पूर्व-भ्रूण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उन व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिन्होंने गैमीट प्रदान किए हैं... विधि के अनुसार, यह मान लेना उचित है कि इस विषय पर विशिष्ट विधान के अभाव में गैमीट प्रदाताओं के पास पूर्व-भ्रूण के संबंध में मुख्य निर्णय लेने का अधिकार है। किसी व्यक्ति की प्रजनन करने या प्रजनन से बचने की स्वतंत्रता पूर्व-भ्रूण से जुड़े अधिकांश निर्णयों में सीधे शामिल होती है। '(842 एस.डब्लू.2डी. पृ. 597.)*
>
> ***(4ख) शुक्राणु जिसे इसके प्रदाता द्वारा इस इरादे से संग्रहीत किया जाता है कि इसका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाए, इस प्रकार यह अन्य मानव ऊतकों के विपरीत है क्योंकि यह गैमिटिक पदार्थ (डेविस बनाम डेविस, पूर्वोक्त, 842 एस.डब्लू.2डी. 588 ,597) है जिसका उपयोग प्रजनन के लिए किया जा सकता है। हालाँकि इसे अभी तक अंडाणु के साथ युग्मित करके पूर्व-भ्रूण नहीं बनाया गया है, जैसा कि यह डेविस में है, शुक्राणु का मूल्य निषेचन, विकास और जन्म के बाद बच्चे को पैदा करने की क्षमता में निहित है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपनी मृत्यु के***

> ***<u>समय, मृतक का स्वामित्व की प्रकृति में इस सीमा तक हित था कि प्रजनन के लिए अपने शुक्राणु के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उसके पास था। इस तरह का हित प्रोबेट कोड धारा 62 के अर्थ के भीतर "संपत्ति" होने के लिए पर्याप्त है।</u>*** *तदनुसार, प्रोबेट न्यायालय के पास शुक्राणु की शीशियों के संबंध में अधिकार क्षेत्र था। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि शुक्राणु उचित रूप से मृतक की संपत्ति का हिस्सा है, हम संग्रहीत शुक्राणु के संबंध में मृतक के इरादे को व्यक्त करने के लिए किसी भी संविदा या वसीयत की वैधता या प्रवर्तनीयता के मुद्दे को संबोधित नहीं करते हैं। प्रजनन पदार्थ के रूप में शुक्राणु की प्रकृति को देखते हुए, जो एक अद्वितीय प्रकार की "संपत्ति" है, हम इस मामले में व्यक्तिगत संपत्ति के उपहार से संबंधित सामान्य विधि या आसन्न मृत्यु को देखते हुए उपहारों के लिए क़ानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता के निमंत्रण को भी अस्वीकार करते हैं। (प्रोब कोड धारा 5700 और निम्नलिखित देखें)*

71. कैलिफोर्निया के अपील न्यायालय ने तब अविवाहित महिलाओं के मामले में कृत्रिम गर्भाधान के सवाल पर विचार किया, और साथ ही मृत्यु के बाद कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित पहलुओं पर भी विचार किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कैलिफोर्निया की लोक नीति में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दावेदार के कृत्रिम गर्भाधान को विहित करता हो, केवल इसलिए कि वह एक अविवाहित महिला थी। मरणोपरांत गर्भाधान या मृत्यु के बाद कृत्रिम गर्भाधान के सवाल पर, कैलिफोर्निया की अपील न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *[*858] शापिरो और सोननब्लिक द्वारा व्यक्त की गई कुछ चिंताओं को दोहराते हुए, वास्तविक पक्षकारगण ने तर्क दिए कि "इस न्यायालय को मरणोपरांत गर्भधारण के खिलाफ एक राज्य नीति अपनानी चाहिए", क्योंकि*

*यह "वास्तव में, राज्य की अनुमति से कृत्रिम माध्यमों द्वारा अनाथ बच्चों को पैदा करना है", जिसके परिणाम को वे "दुखद" बताते हैं। हालांकि, वास्तविक पक्षकारगण इस न्यायालय, या किसी भी **[**289]** न्यायालय की औचित्य स्थापित करने वाले किसी भी प्राधिकारी का हवाला नहीं दिए हैं, ताकि यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सके कि क्या इस तरह के संभावित बच्चे का जन्म नहीं होना बेहतर है, यह मानते हुए कि दोनों गैमीट प्रदाता बच्चे को गर्भ धारण करना चाहते हैं। **दूसरे शब्दों में, यह मानते हुए कि हेच्ट और मृतक दोनों ही मृतक के शुक्राणु का उपयोग करके बच्चे को गर्भधारण करने की इच्छा रखते हैं, वास्तविक पक्षकारगण उस निर्णय में हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त राज्य हित स्थापित करने में विफल रहे।** टेनेसी की तरह, हमें कैलिफ़ोर्निया में ऐसे किसी क़ानून की जानकारी नहीं है जिसमें "लोक नीति का विवरण हो जो एक ऐसे हित को प्रकट करता हो जो गैमीट-प्रदाताओं के निर्णयात्मक अधिकार का उल्लंघन करने को उचित ठहरा सके **[***47]...."* (डेविस बनाम डेविस, पूर्वोक्त, 842 एस.डब्ल्यू.2डी 588, 622)

*हम वास्तविक पक्षकारगण के इस दावे से भी असहमत हैं कि शुक्राणु को नष्ट करने के अलावा कोई भी अन्य आदेश बच्चों के **मरणोपरांत** गर्भधारण के लिए "राज्य अनुज्ञा" के समान है, अर्थात, ऐसी गर्भधारण के पक्ष में एक लोक नीति का निर्माण। **ऐसे मामले में, राज्य केवल यह स्वीकार कर रहा है कि "किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था का इतना हित नहीं है कि वह गैमीट प्रदाताओं के निर्णय में हस्तक्षेप की अनुमति दे सके... क्योंकि कोई और इन निर्णयों के परिणामों को उस तरह से सहन नहीं करता है जिस तरह से गैमीट प्रदाता करते हैं।" (डेविस बनाम डेविस, पूर्वोक्त, 842 एस.डब्ल्यू.2डी पृ. 602।)"***

72. अंत में, न्यायालय ने तर्क को खारिज कर दिया, और कहा कि प्रोबेट न्यायालय को पहले मामले को सरोगेसी व्यवस्था या गोद लेने के रूप में देखना चाहिए और इस स्तर पर, गर्भधारण से पहले ही वादार्थ संरक्षक को नियुक्त करना चाहिए। उक्त अवलोकन प्रासंगिक है और नीचे दिया गया है:

> *इस बिंदु पर, यह भी पूरी तरह से **<u>अटकल है कि क्या मृतक के शुक्राणु का उपयोग करके हेच्ट से पैदा हुआ कोई भी बच्चा समाज पर बोझ होगा।</u>** वास्तविक पक्षकारगण भी अपने इस सुझाव के लिए कोई/ [***53] अधिकार प्रदान नहीं करते हैं कि यदि शुक्राणु को हेच्ट को वितरित किया जाना है, तो प्रोबेट न्यायालय को पहले मामले को सरोगेसी व्यवस्था या गोद लेने के रूप में मानना चाहिए और अजन्मे बच्चा (बच्चे) के लिए वादार्थ अभिभावक नियुक्त करना चाहिए और बच्चे को जन्म देने के लिए हेच्ट की योग्यता की उपयुक्तता के संबंध में सुनवाई करना चाहिए। हम ऐसे किसी प्राधिकारी को नहीं जानते जो प्रोबेट न्यायालय को पूर्वगामी तरीके से कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करे, और हेच्ट की बच्चा पैदा करने की योग्यता के मुद्दे पर विचार करने के लिए उसे प्राधिकार देना तो दूर की बात है।*

73. ***एलिजाबेथ वारेन (पूर्वोक्त) (2014)*** में, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय (कुटुंब प्रभाग) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें वारेन ब्रेवर, जिसकी मृत्यु 7 फरवरी, 2012 को हुई थी, के शुक्राणु को 18 अप्रैल, 2015 से आगे 18 अप्रैल, 2060 तक 55 वर्ष तक संग्रहीत करने की अनुमति देने की घोषणा की माँग की गई थी। जिससे उनकी विधवा, एलिजाबेथ वारेन बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी। श्री ब्रेवर को 2005 में ब्रेन ट्यूमर का

पता चला था, और बांझपन के जोखिम के कारण रेडियोथेरेपी शुरू करने से पहले उन्होंने अपने शुक्राणु को संग्रहीत कर लिया था। प्रारंभ में, उन्होंने तीन साल की संग्रहण अवधि के लिए सहमति दी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया, अपने साथी एलिजाबेथ वारेन को प्रजनन उपचार में मरणोपरांत उपयोग के लिए इच्छित प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया। उक्त निर्णय में, उच्च न्यायालय (कुटुंब प्रभाग) ने आवेदन की अनुमति दी, और कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों का कोई टकराव नहीं था, क्योंकि श्री ब्रेवर और उनकी पत्नी, श्रीमती वारेन दोनों इस बात पर सहमत थे कि उन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शुक्राणु का उपयोग करके बच्चे के लिए गर्भ धारण करने का अवसर मिलना चाहिए। हालाँकि, चुनौती इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि श्री ब्रेवर की लिखित सहमति ने विशेष रूप से अपने शुक्राणु के संग्रहण को विनियमों द्वारा आवश्यक कानून विहित अवधि से आगे नहीं बढ़ाया, भले ही उन्होंने अपनी पत्नी को मरणोपरांत अपने गैमिटों का उपयोग करने के लिए सहमति प्रदान की थी। श्रीमती वारेन ने यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 8 पर भरोसा किया, यह तर्क दिया कि उन्हें अपने मृत पति से माँ बनने का अधिकार है जो उनकी इच्छाओं के अनुरूप है। न्यायालय ने यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 8 के तहत श्रीमती वारेन के अधिकार को मान्यता दी, और स्वीकार किया कि श्री ब्रेवर को कानून विहित अवधि से आगे

विस्तारित संग्रहण के लिए सहमति प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी या अवसर नहीं दिया गया था।

74. ***एम. बनाम एच.एफ.ई.ए. (2016) (पूर्वोक्त)*** का मामला अपील न्यायालय के समक्ष आया। ए, अपीलार्थीगण की बेटी, को 21 साल की आयु में कैंसर का पता चला था और छह साल बाद 2011 में उसका निधन हो गया। अपनी बीमारी के बावजूद, ए बच्चे पैदा करना चाहती थी, यहाँ तक कि 2008 में सुधार की अवधि के दौरान अंडाणु निकालने और संग्रहण की प्रक्रिया भी करवाई। हालाँकि उस समय ए का कोई साथी नहीं था, लेकिन उसकी मां ने ए के बच्चों को जन्म देने की पेशकश की, और ए ने इसे स्वीकार कर लिया। सुश्री ए अपने अंडाणु के संग्रहण और मरणोपरांत उपयोग के लिए सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर की, हालांकि उन्होंने दाता शुक्राणु के उपयोग के लिए आवश्यक प्रपत्रों को पूरा नहीं किया। उसकी माँ के अनुसार, सुश्री ए की स्पष्ट इच्छा थी कि उसकी माँ उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को जन्म दे एवं उसका पालन-पोषण करें और अपने अंतिम वर्षों में उसने बार-बार इस इच्छा को व्यक्त की। उसकी मृत्यु के बाद, ए के माता-पिता ने बच्चे पैदा करने की उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, और न्यूयॉर्क शुक्राणु बैंक से एक अनाम शुक्राणु दाता का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन अपूर्ण सहमति प्रपत्रों के कारण उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा।

75. अपील न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिसने अपीलार्थीगण के संयुक्त राज्य अमेरिका को उनकी दिवंगत बेटी के अंडाणु को निर्यात करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। अंडाणु को लंदन के एक अस्पताल में रखा गया। अपीलार्थीगण ने आवेदन इसलिए किया था क्योंकि वे चाहते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई केंद्र अनाम दाता शुक्राणु के साथ भ्रूण बनाने के लिए ए के अंडाणु का उपयोग करे, और भ्रूण को दूसरे अपीलार्थी, ए की माँ में प्रत्यारोपित करे, ताकि पैदा होने वाले बच्चे को अपीलार्थी के पोते के रूप में पाला जा सके। अपील न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

> *64. दूसरा खुलासा करने वाला बिंदु यह सुझाव है कि अपीलार्थीगण इस अपील में एक नया मामला उठा रहे हैं, यानी कि ए अपनी माँ को सरोगेट बनने के लिए कहने के बजाय अपने अंडाणु अपनी माँ को दान कर रही थी - एक ऐसा तर्क जिसे अपीलार्थी नकारते हैं। यह सुझाव इंगित करता है कि एच.एफ.ई.ए. एक अलग दृष्टिकोण अपनाएगा जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अंडाणु दान कर रहा है ताकि दूसरे को उससे बच्चा हो सके जहां गैमीट दाता किसी को सरोगेट बनने के लिए कहता है क्योंकि दाता निःसंतान है। **<u>यह सुझाव इस विचार को भी पुष्ट करता है कि समिति, ए और उसकी माँ के बीच व्यवस्था को केवल एक सरोगेसी व्यवस्था के रूप में मानते हुए, इस संभावना पर विचार करने में विफल रही कि ए ने अपने बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अपनी माँ के अंडाणु के उपयोग के लिए इस आधार पर सहमति व्यक्त की कि उसके माता-पिता या उसकी माँ ने सभी विस्तृत कदम उठाए और बच्चे को स्वयं पाला।</u>***

> *65. दूसरे शब्दों में, समिति ने इस संभावना पर विचार ही नहीं किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां ए ने कुछ इस तरह कहा है (यदि मैं ए के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का साहस कर सकता हूँ जिसे ए ने कभी इस्तेमाल नहीं किया और जिसका वह जवाब देने में सक्षम नहीं है): **यही मैं करना चाहता हूँ। मैं वह सब करना चाहती हूँ जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि इसमें क्या शामिल है। मुझे विश्वास है कि मेरे माता-पिता मेरे जाने के बाद इस बारे में सही निर्णय लेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। यह मेरा एकमात्र मौका है। यह संभावना शायद यह समझा सकती है कि ए और उसकी माँ के बीच इस बारे में कोई विस्तृत चर्चा क्यों नहीं हुई कि जनवरी 2010 और उसकी मृत्यु के बीच ए के अंडाणु का उपयोग किए जाने पर क्या करना होगा।** वास्तव में उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले कुछ चर्चा हुई थी, जिसे समिति संदर्भित करने में विफल रही। समिति ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या मामले की अंतर्निहित संभावनाओं से इस तरह का निष्कर्ष निकल सकता है।*

76. इस सवाल के संबंध में कि क्या गैमीट संपत्ति हैं, अपील न्यायालय ने ***ईयरवर्थ (पूर्वोक्त)*** में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया।

77. ***के.एल.डब्ल्यू. बनाम जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर (2016) (पूर्वोक्त)*** में, ब्रिटिश कोलंबिया का उच्चतम न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें पत्नी ने अपने पति के मृत्यु के बाद उनके वीर्य के नमूने को देने की माँग की थी। पति को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ थीं और उनका निधन हो गया था, लेकिन उससे पहले, उनके शुक्राणु निकाले गए, हिमीकृत किए गए और संग्रहीत किए गए। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया:

(क) क्या प्रजनन पदार्थ संपत्ति है?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या प्रजनन पदार्थ में संपत्ति याचिकाकर्ता को [ए.बी.] की निर्वसीयत संपत्ति के एकमात्र लाभार्थी के रूप में दी गई थी?

(ग) इस मामले की परिस्थितियों में, क्या न्यायालय याचिकाकर्ता को प्रजनन पदार्थ देने का आदेश दे सकती है, भले ही याचिकाकर्ता द्वारा भ्रूण बनाने के उद्देश्य से प्रजनन पदार्थ के उपयोग के लिए दाता का लिखित सहमति न हो?

78. ब्रिटिश कोलंबिया के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कारकों पर ध्यान दियाः

- पति की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी, और उसका एकमात्र उत्तराधिकारी उसका पति या पत्नी था।
- पति या पत्नी एकमात्र लाभार्थी था —किसी ने भी कोई हित का दावा नहीं किया था।
- पति ने प्रजनन पदार्थ के उपयोग के लिए कोई लिखित सहमति नहीं दी थी। लेकिन न्यायालय ने महसूस किया कि अगर आवश्यकता को उनके संज्ञान में लाया गया होता, तो वह सहमति दे देता।

79. पहला मुद्दा कि क्या प्रजनन पदार्थ संपत्ति है, ब्रिटिश कोलंबिया के उच्चतम न्यायालय ने ***ईयरवर्थ (पूर्वोक्त)*** में पहले के फैसले पर विचार किया, जिसमें छह व्यक्ति, जिसे कैंसर था, ने अपने गैमिटों को संग्रहीत किया था। उक्त निर्णय में,

यू.के. का अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि शुक्राणु उस संपत्ति के बराबर है जो विधिक रूप से व्यक्तियों के स्वामित्व में हो सकती है। चूँकि शुक्राणु क्षतिग्रस्त हो गया था, वे अपकृत्य विधि के बजाय संविदा विधि के तहत अपने दावे के नुकसान को बनाए रखने के हकदार थे। ***के.एल.डब्ल्यू. बनाम जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर (पूर्वोक्त)*** में, ब्रिटिश कोलंबिया का उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शुक्राणु प्रजनन पदार्थ है और इसलिए, यह मृतक की संपत्ति है। न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क नीचे दिया गया है:

> *[93] यहाँ, [ए.बी.] ने शुक्राणु उत्पन्न किया जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा उससे प्राप्त किया गया, हिमीकृत किया गया और जेनेसिस में संग्रहीत किया गया।*
>
> ***[94] शुक्राणु को निकालने और संग्रहीत करने का एकमात्र उद्देश्य इसे [ए.बी.] और याचिकाकर्ता द्वारा बच्चे को गर्भ धारण करने के प्रयास के लिए बाद में उपयोग के लिए परिरक्षित करना था। जब [ए.बी.] जीवित था, जेनेसिस ने उसकी ओर से हिमीकृत शुक्राणु को संग्रहीत किया और इसे [ए.बी.] की संपत्ति के रूप में माना। केवल [ए.बी.] ही ए.एच.आर.ए. के तहत अनुमत प्रजनन उद्देश्यों के लिए संग्रहीत शुक्राणु के उपयोग के लिए सहमति दे सकता था।***
>
> ***[95] जबकि [ए.बी.] संग्रहीत शुक्राणु को नहीं बेच सकता था, केवल वह अपनी मृत्यु के बाद अपने पति या पत्नी द्वारा इसके प्रजनन उपयोग को अधिकृत कर सकता था, या इसे किसी तीसरे पक्ष को प्रजनन उपयोग के लिए दान कर सकता था।***
>
> ***[96] मुझे लगता है कि [ए.बी.] को प्रजनन पदार्थ के उपयोग और स्वामित्व का अधिकार था जो इसे संपत्ति बनाने के लिए पर्याप्त था।***

80. दूसरे मुद्दे पर, ब्रिटिश कोलंबिया के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि चूँकि पति या पत्नी एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, इसलिए वह उनकी निर्वसीयत संपत्ति की एकमात्र लाभार्थी हैं। तीसरा, इस प्रश्न पर कि क्या पत्नी को शुक्राणु देने के लिए लिखित सहमति की आवश्यकता है, ब्रिटिश कोलंबिया के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसके संग्रहण का मुख्य उद्देश्य प्रजनन पदार्थ के रूप में उपयोग करना था। जब तक शुक्राणु विक्रय नहीं करना था, तब तक इसे पति या पत्नी को दिया जा सकता था। इसके उपयोग को ब्रिटिश कोलंबिया के उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त द्वारा सीमित किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि प्रजनन पदार्थ का उपयोग केवल पति या पत्नी के प्रजनन उपयोग के लिए भ्रूण के निर्माण के लिए किया जाएगा, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। निर्णय के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

> *[101] [ए.बी.] की मृत्यु के बाद से, जेनेसिस ने याचिकाकर्ता के लिए प्रजनन पदार्थ संग्रहीत की है और उसने वार्षिक संग्रहण शुल्क का भुगतान किया है। यदि याचिकाकर्ता को संग्रहीत शुक्राणु को त्यागने का निर्णय लेना था, तो जेनेसिस को इसके निपटान के लिए उसकी लिखित सहमति की आवश्यकता होगी।*
>
> *[102] याचिकाकर्ता के अलावा कोई भी प्रजनन पदार्थ के लिए किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया है।*
>
> *[103] [ए.बी.] आशय था कि याचिकाकर्ता उसकी मृत्यु के बाद संग्रहीत शुक्राणु का उपयोग प्रजनन उद्देश्यों के लिए करेगा।*

[104] दावेदार ने अपने प्रजनन उपयोग के लिए संग्रहीत शुक्राणु को संग्रहीत करने, परिरक्षित करने और अनुरक्षण करने के लिए संग्रहण शुल्क का भुगतान किया है।

[105] इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि [ए.बी.] की मृत्यु के बाद, प्रजनन पदार्थ में संपत्ति याचिकाकर्ता के पास [ए.बी.] के पति या पत्नी और उसकी निर्वसीयत संपत्ति के एकमात्र लाभार्थी के रूप में निहित हो गई।

...

[131] इस मामले की परिस्थितियाँ असाधारण हैं। [ए.बी.] ने याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद प्रजनन पदार्थ के उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से और बार-बार अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा अपने संग्रहीत शुक्राणु के उपयोग के लिए अपनी सहमति याचिकाकर्ता को, उसके सामाजिक कार्यकर्ता को, [सामग्री संशोधित] अस्पताल में एक नर्स को, जहां उसका [सामग्री संशोधित] किया गया था, अपने पारिवारिक चिकित्सक को और जेनेसिस को बताई।

[132] [ए.बी.] पूरी तरह से समझ गया था कि प्रजनन पदार्थ का उपयोग भ्रूण बनाने के लिए उसकी इच्छाओं के अनुसार किया जाएगा, और उसकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा बच्चे का गर्भ धारण करने का प्रयास करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

[133] ए.एच.आर.ए.के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है मानव प्रजनन तकनीकों के उपयोग के लिए एक मौलिक शर्त के रूप में स्वतंत्र और सूचित सहमति को बढ़ावा देना और उसका अनुप्रयोग करना है। धारा 2(ख) में निर्धारित एक अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि व्यक्तियों, परिवारों और समाज के लिए तकनीकों के लाभों को मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा और संवर्धन के लिए के लिए उचित उपायों द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सकता है। यहाँ, [ए.बी.] और याचिकाकर्ता ने

अपना एक बच्चा पैदा करने के लिए तकनीक का उपयोग करने की माँग की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि [संशोधित सामग्री] टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) के माध्यम से गर्भ धारण करने वाले किसी भी बच्चे को न दी जाए। उन्होंने तकनीक के सुरक्षित उपयोग के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श किया।

[134] याचिकाकर्ता को [ए.बी.] द्वारा अभिप्रेत प्रजनन पदार्थ के उपयोग से इनकार करना अनुचित और उसकी गरिमा का अपमान दोनों होगा।

[135] [ए.बी.] ने याचिकाकर्ता द्वारा अपनी [संशोधित सामग्री] से पेशेवर परामर्श करने के बाद प्रजनन पदार्थ के उपयोग के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।

[136] मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि इस मामले की परिस्थितियों में, [ए.बी.] की सहमति, हालांकि लिखित में नहीं थी, विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मृत्यु के बाद अपने संग्रहीत शुक्राणु के प्रजनन उपयोग पर विचार किया गया था, और ए.एच.आर.ए. के मौलिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त था कि दाता की सहमति स्वतंत्र और सूचित दोनों होनी चाहिए। तदनुसार, न्यायालय याचिकाकर्ता को प्रजनन पदार्थ देने का आदेश दे सकता है ताकि वह भ्रूण बनाने के उद्देश्य से उस सामग्री का उपयोग कर सके।

...

राहत

[137] यह न्यायालय घोषणा करता है कि जेनेसिस में संग्रहीत [ए.बी.] की प्रजनन पदार्थ याचिकाकर्ता की एकमात्र संपत्ति है।

[138] प्रजनन पदार्थ को जेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर द्वारा याचिकाकर्ता, के.एल.डब्ल्यू. को प्रजनन उपयोग के लिए भ्रूण बनाने के लिए दिया जाएगा, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

[139] माननीय न्यायमूर्ति ग्रिफिन द्वारा 5 अगस्त, 2016 को इस कार्यवाही में दिया गया बंद करने का आदेश लागू और प्रभावी है।

81. हाल ही में, ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** के मामले में न्यूयॉर्क का उच्चतम न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें श्री पीटर झू, जो पहले ही मर चुका था, के माता-पिता ने अपने बेटे के शुक्राणु को वापस पाने के लिए न्यायालय का रुख किया था। बेटा सैन्य अकादमी में कैडेट था और एक स्की दुर्घटना के कारण उसे कई चोटें आई थीं और उसे मस्तिष्क मृत्यु घोषित कर दिया गया था। वह अंग दान की प्रतीक्षा में जीवन रक्षक प्रणाली के माध्यम से जीवित रहा, क्योंकि उन्होंने अंग दाता कार्ड पर हस्ताक्षर कर दिया था। जिस दिन अंग दान की शल्यचिकित्सा होनी थी, उस दिन माता-पिता ने न्यूयॉर्क के उच्चतम न्यायालय का रुख किया और उसके शुक्राणु की पुनःप्राप्ति और शुक्राणु बैंक में उसके संग्रहण और उसके शुक्राणु को तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रजनन के लिए उपयोग करने की अनुमति माँगी। अंग दान शल्य चिकित्सा से पहले अंतरिम राहत दी गई थी जिसमें शुक्राणु को संग्रहण के लिए शुक्राणु बैंक में देने का निर्देश दिया गया था, जो न्यूयॉर्क के उच्चतम न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन था। अंग दान कार्ड के संबंध में और मृतक की आनुवंशिक पदार्थ के निपटान के संबंध में निर्णय किसे दिया जाना चाहिए, इस मामले में विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। न्यूयॉर्क उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृतक मुख्य रूप से परिवारवाला था और उसके माता-पिता ही उसके सबसे करीबी रिश्तेदार थे क्योंकि वह अविवाहित था।

उनका कोई पारिवारिक सहभागी संबंधी भी नहीं था और न ही उन्होंने कोई वसीयत बनाई थी। न्यूयॉर्क उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चाहे मृतक ने अंग दान कार्ड पर हस्ताक्षर किए हो या नहीं, न्यूयॉर्क में लागू कानून के अनुसार माता-पिता उसके उत्तराधिकारी होंगे। न्यूयॉर्क के उच्चतम न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि मृतक के माता-पिता उसकी आनुवंशिक पदार्थ के व्ययन का निर्णय लेने के लिए उचित पक्ष हैं। तदनुसार, न्यूयॉर्क उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया:

> *[*781] इस समय, न्यायालय पीटर के माता-पिता द्वारा अपने बेटे के शुक्राणु का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें प्रजनन उद्देश्यों के लिए इसका संभावित उपयोग भी शामिल है। जहाँ तक न्यायालय का मानना है, न्यूयॉर्क या संघीय कानून द्वारा ऐसे किसी प्रतिबंध को अनिवार्य नहीं किया गया है। हालाँकि, यह कहना उचित होगा कि याचीगण को प्रजनन उद्देश्यों के लिए पीटर के शुक्राणु का उपयोग करने का विकल्प चुनना चाहिए, तो वे निश्चित रूप से बाधाओं को पार कर सकते हैं, या अवशिष्ट मुद्दों का सामना कर सकते हैं। एक बार चुने जाने पर, एक विशिष्ट उपयोग कुछ कानूनी, व्यावहारिक और नैतिक चिंताओं के विरुद्ध हो सकता है, या कम से कम विचारणीय हो सकता है, जिसमें ऐसी प्रक्रिया में सहायता करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों की संभावित अनिच्छा भी शामिल है। (उदाहरणस्वरूप जीन बेनवर्ड और अन्य, मरणोपरांत पुनर्प्राप्ति और गैमिटों या भ्रूण का उपयोगः एथिक्स कमिटी ऑफ़ द अमेरिकन सोसायटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, 2 अप्रैल, 2018 को 3 से 5 पर देखें [मरणोपरांत प्रजनन में भाग लेने के लिए कहे गए डॉक्टरों की नैतिक चिंताओं पर चर्चा, विशेष रूप से [***16] जीवित पति या पत्नी के बजाय माता-पिता के कहने पर]।*

*इसके अलावा, मरणोपरांत गर्भ धारण किए गए बच्चे की मृतक के बेटे या बेटी के रूप में मान्यता समस्याग्रस्त साबित हो सकती है, कुछ राज्यों में, पिता की मृत्यु के बाद एक निश्चित अवधि के बाद पैदा हुए बच्चे को कुछ उद्देश्यों के लिए ऐसे पिता की संतान नहीं माना जाता है। (देखें एस्ट्रू बनाम कैपाटो, 566 यू.एस. 541, 132 एस.सी.टी. 2021, 182 एल. ई.डी. 2डी 887 [2012] [दिवंगत पति के हिमीकृत शुक्राणु का उपयोग करके इन विट्रो निषेचन द्वारा गर्भ धारण किए गए बच्चे और पति की मृत्यु के 18 महीने बाद पैदा हुए बच्चे सामाजिक सुरक्षा उत्तरजीवी लाभों के हकदार नहीं थे क्योंकि ऐसे बच्चों को संबंधित राज्य (यहाँ, फ्लोरिडा) निर्वसीयता कानून के तहत उनकी संतान नहीं माना जाता है] **[289]** कैल प्रोब कोड धारा 249.5 [ए] [सी] [मरणोपरांत गर्भ धारण करने वाले बच्चे को मृतक का बच्चा माना जाता है "या अधिकारों को निर्धारित करने के उद्देश्य से केवल तभी वितरित की जाएगी जब मृतक, लिखित रूप में, "यह निर्दिष्ट करता है कि उसकी आनुवंशिक पदार्थ का उपयोग मृतक के बच्चे की मरणोपरांत गर्भधारण के लिए किया जाएगा" और बच्चा "मृतक की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से दो साल के भीतर गर्भाशय में था]"। मार्टिन बी. का मामला, 17 वि. 3डी 198, 841 एन.वाई.एस.2डी 207 (सर सीटी, एन.वाई. काउंटी 2007) [न्यायालय ने ट्रस्ट समझौतों की व्याख्या करते हुए मरने वाले के क्रायोप्रिजर्व्ड वीर्य **[***17]** को उसके "संतान" और "वंशजों" के रूप में उपयोग करते हुए मरणोपरांत गर्भ धारण किए गए बच्चों को शामिल किया।] और यह बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण में आवश्यक रूप से आने वाली चुनौतियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त विचार पीटर के शुक्राणु के अंतिम निपटान के संबंध में याचीगण द्वारा किए गए किसी भी निर्णय पर अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं।*

न्यायालय इस मोड़ पर अन्य संभावित विचारों की सीमा को संबोधित करने से विवश है। किसी भी मूल्यांकन के लिए न केवल झू की अभिव्यक्त मंशा का इंतजार करना होगा, बल्कि प्रासंगिक चिकित्सा पेशेवरों, चिकित्सा

> ***<u>नैतिकतावादियों और, शायद अंततः, उस मंशा के कार्यान्वयन के लिए एक ठोस योजना की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति का भी इंतजार करना होगा।</u>***
>
> ***<u>किसी भी स्थिति में, यहाँ दिए गए कारणों से, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीटर के माता-पिता पीटर की आनुवंशिक पदार्थ के व्ययन के संबंध में निर्णय लेने के लिए उचित पक्ष हैं। तदनुसार, याचीगण का आवेदन इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि वे अपने बेटे पीटर की आनुवंशिक पदार्थ के व्ययन और संभावित उपयोग को अपने पास रखेंगे और नियंत्रित करेंगे।</u>***

इस प्रकार, न्यूयॉर्क उच्चतम न्यायालय ने मृतक के माता-पिता को शुक्राणु के नमूने जारी करने का निर्देश दिया।

82. ***एच, एई, रे 2012 (पूर्वोक्त)*** में, पत्नी ने अपने मृत पति के शुक्राणु को निकालने और परिरक्षित करने के लिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शुरू में निकालने और परिरक्षित करने के लिए अंतरिम राहत दी गई थी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय ने पहले उन विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जो उत्पन्न हुए थे और शुक्राणु को मृतक या लगभग मृतक के व्यक्ति के शरीर से निकाला गया था। मृतक की मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय के समक्ष नैतिक, विधिक, धार्मिक और विभिन्न अन्य मुद्दे थे। पत्नी चाहती थी कि उसके द्वारा बच्चे पैदा करने की संभावना हो। मृतक ने एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें पत्नी को निष्पादक के रूप में नामित किया गया था, और बच्चों के लिए भी

प्रावधान किया गया था। शुक्राणु को पुनः प्राप्त करने और परिरक्षण का निर्देश दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके दिया गया था।

83. ***रोब्लिन (पूर्वोक्त)*** में, इसी तरह, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संग्रहीत वीर्य मृतक की व्यक्तिगत संपत्ति होगी और उसकी संपत्ति का हिस्सा होगी। यही बात मृतक के जीवित रहने के दौरान और उसके बाद उसके व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को निहित होगी। ***रोब्लिन (पूर्वोक्त)*** ने ***ईयरवर्थ (पूर्वोक्त), हेच्ट (पूर्वोक्त)*** और ***आर बनाम एच, ए.ई. (सं. 2) (पूर्वोक्त)*** पर भी भरोसा किया।

<u>न्यायलय के समक्ष मुद्दे</u>

84. इस न्यायालय की राय में, निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होंगे।

(i) क्या ए.आर.टी. अधिनियम और सरोगेसी अधिनियम वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं?

(ii) क्या वीर्य को मृतक की संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए?

(iii) क्या याचिकाकर्ता अस्पताल में परिरक्षित उक्त वीर्य के नमूने को देने का हकदार है?

(iv) क्या वर्तमान याचिका में माँगी गई राहत पर विचार करते समय कोई नैतिक या अन्य विधिक विचार हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है?

85. वर्तमान याचिका में, प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ मुख्य रूप से याचीगण द्वारा प्रजनन/जनन के प्रयोजनों के लिए मृतक के वीर्य के नमूने के संभावित उपयोग के इर्द-गिर्द घूमती हैं। ए.आर.टी. अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों का हवाला देकर तर्क दिया गया है कि प्रचलित कानूनों के तहत याचीगण की मांग को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

86. अन्य अधिकार क्षेत्रों में पारित विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय अब उन दो कानूनों पर विचार करता है जो कृत्रिम गर्भाधान और प्रजनन से संबंधित हैं।

<u>सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021</u>

87. याचीगण को मृतक के वीर्य का नमूना देने के खिलाफ भारत संघ द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियों में से एक ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों के आधार पर है। विद्वान के.सर.स्था.अधि. ने इस आधार पर देने पर आपत्ति जताई है कि ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को देखते हुए वीर्य

का नमूना दिए जाने पर भी इसका कोई उपयोगी उत्पादक उपयोग नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि उक्त अधिनियम के तहत आयु सीमा निर्धारित की गई है जिसके तहत निर्धारिती जोड़ा ए.आर.टी. सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। उनका कहना है कि ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 21 (छ) के तहत, ए.आर.टी. सेवाएं केवल 21 से 50 वर्ष की आयु की महिला को और 21 से 55 वर्ष की आयु के पुरुष को (21 और 50) और (21 और 55) क्रमशः क्लीनिकों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। चूँकि मृतक की माँ, जो वीर्य का नमूना देने की माँग कर रही है, पहले ही उक्त आयु सीमा को पार कर चुकी है, भले ही देना विधि की सीमा के भीतर निर्देशित हो, इसका कोई फायदा नहीं हो सकता है।

88. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 ('एस.आर.ए.') पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें धारा 2 (ध) में 'इच्छुक महिला' को भी निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> *2(ध) इच्छुक महिला का अर्थ है ऐसी भारतीय महिला है जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा है और जो सरोगेसी का लाभ उठाना चाहती है;*

89. मृतक की माँ भी इस आयु वर्ग में नहीं आती। इस प्रकार, वह बच्चे को जन्म देने की भी हकदार नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण विभिन्न न्यायिक निर्णयों में चर्चा का विषय रहा है। ए.आर.टी. अधिनियम के विभिन्न

प्रावधानों को चुनौती दी गई है और यह ***अरुण मुथुवेल (पूर्वोक्त)*** मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

90. न्यायालय अब इस बात पर विचार कर रहा है कि कि क्या इस रिट याचिका में माँगी गई राहत ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 से प्रभावित होगी और क्या उक्त अधिनियम वर्तमान मामले में भी लागू होता है। ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 ए.आर.टी. सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके के बारे में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है।

91. ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 के तहत, ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 3 के तहत ए.आर.टी. से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी बोर्ड की स्थापना की गई है। इसे ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने, ए.आर.टी. क्लीनिकों और बैंकों के लिए आचार संहिता निर्धारित करने, राष्ट्रीय रजिस्ट्री की निगरानी के लिए ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाने आदि का भी अधिकार है।

92. ए.आर.टी. अधिनियम के तहत, सरोगेसी अधिनियम, 2021 की धारा 26 के तहत राज्य सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक सरोगेसी बोर्ड ('एस.ए.आर.टी.एस.बी.') के संबंध में एस.आर.ए., 2021 के प्रावधान ए.आर.टी. अधिनियम पर लागू होंगे।

ए.आर.टी. अधिनियम में ***'राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी रजिस्ट्री'*** नामक एक 'राष्ट्रीय रजिस्ट्री' की स्थापना का भी प्रावधान है, जो ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी क्लीनिकों और बैंकों के विवरण सहित केंद्रीय डाटाबेस के रूप में कार्य करेगी। इस तरह के क्लीनिक और बैंक सभी मानदंडों की पूर्ति के अधीन ए.आर.टी. प्रक्रियाओं का लाभ उठाने में सक्षम हैं। ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 21 के तहत, क्लीनिकों का कार्य यह सुनिश्चित करने के बाद कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, ए.आर.टी. बैंकों से दाता गैमीट प्राप्त करना भी है। ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 21 के तहत, ए.आर.टी. क्लीनिक निर्धारिती जोड़े के साथ-साथ सरोगेट महिलाओं को भी निम्नलिखित के संबंध में पेशेवर परामर्श प्रदान करते हैं:

- ए.आर.टी. प्रक्रियाओं के निहितार्थ।
- ए.आर.टी. प्रक्रियाओं में सफलता की संभावना।
- प्रक्रियाओं के लाभ और नुकसान।
- प्रक्रियाओं की लागत।
- चिकित्सा संबंधी दुष्प्रभाव।
- जोखिम।
- दंपति और सरोगेट को एक सूचित निर्णय पर पहुंचने में सहायता करना।

- ए.आर.टी. के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के अधिकारों के संबंध में उन्हें संवेदनशील बनाना।
- निर्धारिती जोड़े, महिला और दाता से संबंधित जानकारी को परिरक्षित करना, जिसे गोपनीय रखा जाएगा।

93. ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 21 (छ) के तहत, जैसा कि पहले ही कहा गया है, महिला की आयु 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए, और पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्लीनिकों और बैंकों को शुरू की गई प्रक्रियाओं, जटिलताओं आदि के संबंध में राष्ट्रीय रजिस्ट्री को अद्यतन करना होगा।

94. ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 22 महत्वपूर्ण है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *22. लिखित सूचित सहमति —* ***(1) क्लिनिक निम्नलिखित के बिना कोई उपचार या प्रक्रिया नहीं करेगा —***
> ***(क) सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी की माँग करने वाले सभी पक्षकारगण की लिखित सूचित सहमति;***
> ***(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के प्रावधानों के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट या किसी बीमा कंपनी से निर्धारिती जोड़े या महिला द्वारा डिंबाणु दाता के पक्ष में बारह महीने की अवधि के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि का बीमा कवरेज।***

(2) क्लीनिक और बैंक किसी भी पक्षकारगण की मृत्यु या अक्षमता के मामले में सहायक प्रजनन तकनीक की माँग करने वाले सभी पक्षकारगण से लिखित रूप में विशिष्ट निर्देशों और सहमति के बिना किसी भी मानव भ्रूण या गैमीट को क्रायोप्रिजर्व नहीं करेंगे।

<u>(3) क्लिनिक किसी भी मानव प्रजनन पदार्थ का उपयोग नहीं करेगा, सिवाय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानव भ्रूण बनाने या किसी भी उद्देश्य के लिए इन-विट्रो मानव भ्रूण का उपयोग करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों की लिखित में विशिष्ट सहमति के बिना, जिनसे सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक संबंधित है।</u>

(4) कोई भी निर्धारिती जोड़ा उप-धारा (1) के तहत मानव भ्रूण या गैमीट को संबंधित महिला के गर्भाशय में अंतरित करने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ-

(i) "क्रायो-प्रिज़र्व" का अर्थ है गैमीट, युग्मनज, भ्रूण, डिम्बग्रंथि और वृषण ऊतकों को हिमीकृत करना और संग्रहीत करना।

(ii) "बीमा" से ऐसी व्यवस्था अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई कंपनी, व्यक्ति या निर्धारिती जोड़ा डिंबाणु पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान डिंबाणु दाता के निर्दिष्ट नुकसान, क्षति, जटिलता या मृत्यु के लिए मुआवजे की गारंटी प्रदान करने का कार्य करते हैं; और

(iii) पक्षकारगण में निर्धारिती जोड़ा या महिला और दाता शामिल हैं।

95. ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की उपरोक्त धारा 22 लिखित सूचित सहमति की आवश्यकता दर्ज की गई है, जिसके बिना ए.आर.टी. प्रक्रिया या उपचार नहीं किया जा सकता है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी पक्षकारगण से लिखित

सहमति की आवश्यकता होती है और मृत्यु या अक्षमता के मामले में भी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। मानव प्रजनन पदार्थ का उपयोग ए.आर.टी. को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। जिस विशिष्ट तरीके से ए.आर.टी. को किया जाना है, वह ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 24 में भी निर्धारित है।

96. ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 31, जिसका शीर्षक 'सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के अधिकार है', में प्रावधान है कि ए.आर.टी. प्रक्रियाओं के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को निर्धारिती जोड़े का जैविक बच्चा माना जाएगा। दाता का जन्म लेने वाले बच्चे पर कोई पैतृक अधिकार नहीं होगा। वास्तव में, ए.आर.टी. अधिनियम के सिद्धांतों को लागू करते हुए, यदि माता-पिता अंडाणु के लिए किसी दाता से संपर्क करता है और बच्चे के जन्म के लिए कोई सरोगेट चुनता है, तो दाता और सरोगेट का पैदा हुए बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा। याचीगण को ऐसा करने से रोकने के लिए कोई विधि नहीं है, सिवाय इसके कि ए.आर.टी. अधिनियम 'निर्धारिती जोड़े' को एक विशेष आयु के होने के लिए परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, यदि वीर्य का नमूना दिया जाता है और मृतक की बहन और उसका पति या पत्नी निर्धारिती जोड़े के रूप में आगे आते हैं, तो वे अधिनियम के तहत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार, याचीगण का अपने बेटे के वीर्य के नमूने का उपयोग करके एक पोते को

जन्म देने की असंख्य संभावनाएं हो सकती हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 वास्तव में कुछ शर्तों के अधीन अजन्मे व्यक्तियों को किए गए अंतरण को मान्यता देता है।

97. ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 विशेष रूप से गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक ('पी.सी.पी.एन.डी.टी.') अधिनियम, 1994 के संदर्भ में लिंग चयन पर रोक लगाता है। ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 27 में ए.आर.टी. बैंकों द्वारा गैमीट की सोर्सिंग करने का तरीका भी प्रदान किया गया है। उक्त धारा प्रासंगिक है और नीचे दिया गया है:

> *27. **सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा गैमेटों का स्रोत बताना** — (1) गैमिटों की जाँच, वीर्य का संग्रह, जाँच और संग्रहण; और डिंबाणु दाता के लिए प्रावधान, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पंजीकृत बैंक द्वारा ही किया जाएगा।*
>
> *(2) बैंक—*
>
> > *(क) 21 वर्ष और 55 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों से वीर्य प्राप्त करेंगे, जिसमें दोनों शामिल हैं;*
> >
> > *(ख) तेइस वर्ष से पैंतीस वर्ष की आयु की महिलाओं से डिंबाणुएँ प्राप्त करें; और*
> >
> > *(ग) दाताओं की ऐसी बीमारियों की जाँच करें, जो विहित की जाएं।*
>
> *(3) बैंक किसी एकल दाता के शुक्राणु या डिंबाणु की आपूर्ति एक से अधिक निर्धारिती जोड़े को नहीं करेगा।*
>
> *(4) कोई भी डिंबाणु दाता अपने जीवन में केवल एक बार डिंबाणु का दान करेगा और डिंबाणु दाता से सात से अधिक डिंबाणु प्राप्त नहीं की जाएगी।*

(5) सभी अप्रयुक्त डिंबाणुओं को बैंकों द्वारा उसी प्राप्तकर्ता पर उपयोग के लिए परिरक्षित किया जाएगा, या निर्धारिती जोड़े से लिखित सहमति लेने के बाद इस अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन को अनुसंधान के लिए दिया जाएगा।

(6) बैंक शुक्राणु या डिंबाणु दाता के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा, जिसमें नाम, आधार संख्या, जैसा कि आधार (लक्षित वितरण वित्तीय सब्सिडी लाभ सेवा) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित है, पता और ऐसे दाता का कोई अन्य विवरण, ऐसी रीती से विहित किए गए हों, और ऐसी जानकारी की गोपनीयता के बारे में ऐसे दाता से लिखित में वचनबद्धता लेगा।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ—

(i) "पुनर्प्राप्ति" का अर्थ है महिला के डिंबग्रंथि से डिंबाणुओं को निकालने की प्रक्रिया;

(ii) "जाँच" का अर्थ है इन-विट्रो निषेचन के माध्यम से उत्पादित भ्रूण पर किया गया आनुवंशिक परीक्षण।

98. ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 27(2) के तहत, 21 से 55 वर्ष की आयु के पुरुषों से वीर्य प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें दोनों शामिल हैं। ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 24(च) के तहत, गैमिट का मरणोपरांत संग्रह केवल तभी किया जा सकता है जब निर्धारिती जोड़े की पूर्व सहमति उपलब्ध हो। ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 24(च) सहपठित ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 22(1) और (3) का मतलब यह है कि गैमिटों के उपयोग के लिए मृतक की पूर्व सहमति की आवश्यकता है। ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 42(2)(द) में कहा गया है कि केंद्र सरकार ए.आर.टी. अधिनियम,

2021 की धारा 24(च) के तहत मरणोपरांत गैमीट के संग्रह के तरीके को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। इसके अनुसार, सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) नियम, 2022, जो 7 जून 2022 को लागू हुआ, विशेष रूप से उन व्यक्तियों से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा नहीं देता है जो मरणोपरांत गैमिटों के संग्रह का विकल्प चुनना चाहते हैं। प्रपत्र 10 में केवल एक ही संकेत दिया गया है जिसका शीर्षक है 'गैमिटों/शुक्राणुओं/डिंबाणुओं को हिमीकृत के लिए सहमति'। उक्त प्रपत्र में हिमीकृत/क्रायोप्रिजर्व्ड गैमिटों को माता-पिता को सौंपने का विकल्प भी नहीं है और विकल्प केवल जीवनसाथी तक ही सीमित है। उक्त प्रपत्र संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

प्रपत्र 10

[नियम 13(च)(फ) देखें]

गैमिटों/शुक्राणुओं/डिंबाणुओं को हिमीकृत करने की सहमति

मैं/हम ..... और ..... अपने ..... (शुक्राणु/डिंबाणु) को हिमीकृत करने की सहमति देते हैं। हम समझते हैं कि गैमिटों को सामान्यतः दस वर्षों तक हिमीकृत करके रखा जाता है। असाधारण परिस्थितियों में, यदि मैं/हम इस अवधि को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ए.आर.टी. क्लिनिक ..... (नाम और पता) को कम से कम छह महीने पहले सूचित करना होगा। यदि आपको समय से पहले हमसे कोई सूचना नहीं मिलती है, तो आप (क) उन्हें अनुसंधान उद्देश्य के

लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे; या (ख) उन्हें निकालकर नष्ट कर देंगे। हम यह भी समझते हैं कि कभी-कभी ..... इन शुक्राणुओं/डिंबाणुओं की गुणवत्ता बाद में पिघलने पर कम हो सकती है, तथा हिमीकृत गैमिटों में गर्भधारण की दर, नये गैमिटों के अंतरण की तुलना में कम हो सकती है।

***पति/पुरुष**

मेरी आकस्मिक मृत्यु होने पर, मैं चाहूंगा कि मेरे गैमिटों को

नष्ट कर दिया जाय ☐

मेरी पत्नी/..... को सौंप दिया जाय। (नाम और विवरण निर्दिष्ट
करें ☐

अनुसंधान उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाय ☐

हस्ताक्षर: तिथि:

***पत्नी/महिला**

मेरी आकस्मिक मृत्यु होने पर, मैं चाहूंगी कि मेरे गैमिटों को

नष्ट कर दी जाय ☐

मेरे पति/..... को सौंप दिया जाय।
☐
(नाम और विवरण निर्दिष्ट करें)

अनुसंधान उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाय ☐

हस्ताक्षरः तिथिः

जोड़े/महिला/पुरुष का नाम, पता और हस्ताक्षर

लेकिन प्रपत्र स्वयं अस्पष्टताओं के साथ लिखा गया है क्योंकि यह एक खाली रेखा '.....' का उपयोग करके यह भी स्वीकार करता है कि गैमीट को **पत्नी/.....** या **पति/.....** को सौंपा जा सकता है। जिसका अर्थ है कि पत्नी के अलावा गैमीट का मालिक इसे किसी और को जैसे माता-पिता या भाई-बहन को सौंपने के लिए सहमति दे सकता है। प्रपत्र में "पत्नी/कोई और नहीं" नहीं लिखा है। इस प्रकार ऐसी शब्दावली का प्रपत्र में अभिप्राय नहीं जाना जा सकता है। इसलिए ए.आर.टी. नियम 2022 के तहत मौजूदा प्रपत्र 10 के तहत भी पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को गैमीट देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

99. एस.आर.ए. के तहत, धारा 2(यछ) और धारा 4(ख) अन्य पात्रता मानदंडों के अलावा, सरोगेट माँ, विवाहित महिला के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनको प्रत्यारोपण की तिथि पर 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच का बच्चा हो।

<u>ए.आर.टी. अधिनियम और एस.आर.ए. का लागू होना</u>

100. वर्तमान याचिका में, प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ मुख्य रूप से याचीगण द्वारा प्रजनन/जनन के प्रयोजनों के लिए मृतक के वीर्य के नमूने के संभावित उपयोग के इर्द-गिर्द घूमती हैं। ए.आर.टी. अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों का सहारा लेकर यह तर्क दिया गया कि प्रचलित विधियों के तहत याचीगण की माँग को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

101. इस मामले में मृतक की आयु 29/30 वर्ष थी जब उसे नॉन-हॉजकिन लिंफोमा का पता चला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत्यु के समय उसकी आयु 30 वर्ष थी। अस्पताल में उनका इलाज जून, 2020 में शुरू हुआ। 22 जून, 2020 से 27 जून, 2020 की अवधि के बीच उनके एम.आर.आई., पी.ई.टी. स्कैन आदि सहित विभिन्न जाँच किए गए, सभी आवश्यक जाँच किए गए और कीमो थेरेपी 27 जून, 2020 से शुरू किया गया। उस समय डॉ. श्वेता मित्तल ने उन्हें कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले वीर्य के नमूने संग्रहीत करने की सलाह दी। उसी दिन, अर्थात, 27 जून, 2020 को सुबह 10:30 बजे, उसे आई.वी.एफ. इकाई में भेजा गया, वहाँ के अभिलेख से पता चलता है कि उसी दिन उनकी कीमोथेरेपी की योजना बनाई गई थी। चिकित्सा अभिलेखों में चिकित्सक द्वारा टिप्पण बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

कीमोथेरेपी से पहले <u>प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए वीर्य को हिमीकृत करने</u> के लिए तैयार वीर्य को हिमीकृत करने के लिए आई.वी.एफ. को सलाह भेजी गई।"

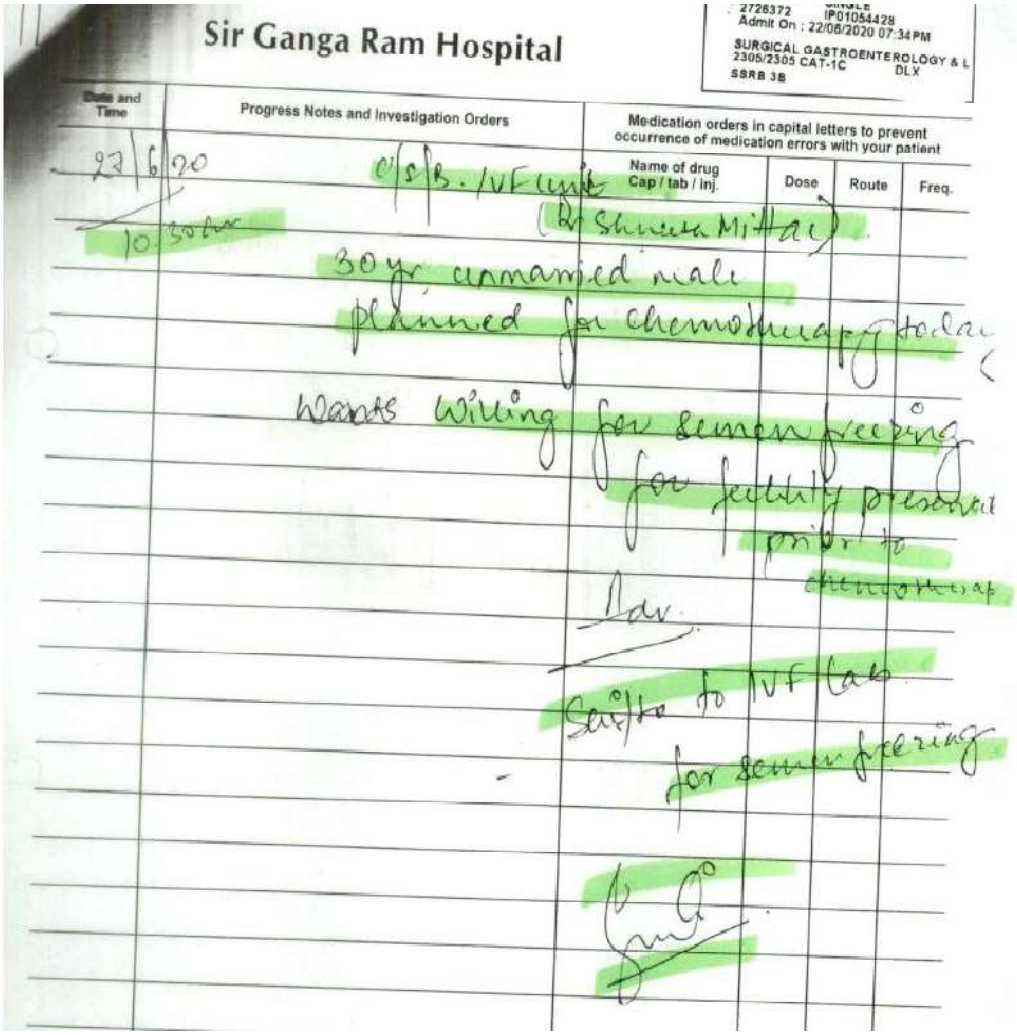

Sir Ganga Ram Hospital

2726372 IP01054428
Admit On : 22/06/2020 07:34 PM
SURGICAL GASTROENTEROLOGY & L
2305/2305 CAT-1C DLX
SSRB 3B

Date and Time	Progress Notes and Investigation Orders	Name of drug Cap / tab / inj.	Dose	Route	Freq.
27/6/20 10:30 hr	c/s/b. IVF unit (Dr Shweta Mittal). 30 yr unmarried male planned for chemotherapy today. Wants willing for semen freezing for fertility preservation prior to chemotherapy. Sent to IVF lab for semen freezing				

102. डॉ. श्वेता मित्तल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद, 27 जून, 2020 को वीर्य का नमूना निकाला गया और कीमोथेरेपी देने वाले डॉक्टर ने कहा कि वह डॉ. श्वेता मित्तल की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे कि वीर्य विश्लेषण का नमूना अच्छा था ताकि कीमोथेरेपी शुरू की जा सके। इसके बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी गई। इसके बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उसका किसी अन्य अस्पताल में इलाज किया गया। इस अवधि के दौरान वीर्य के नमूने को गंगाराम अस्पताल में परिरक्षित किया गया। दुर्भाग्य से, कुछ महीने बाद 1 सितंबर, 2020 को उनका निधन हो गया। माता-पिता ने दिसंबर, 2020 में वीर्य का नमूना देने के लिए अस्पताल से संपर्क किया, लेकिन अस्पताल द्वारा उसे नहीं देने पर, न्यायालय का रुख किया।

103. याचीगण का तर्क है कि इस मामले में ए.आर.टी. अधिनियम लागू नहीं होता है क्योंकि मृतक द्वारा 22 जून, 2020 को सहमति दी गई थी। उक्त तिथि पर परिरक्षण भी किया गया था। मृतक का निधन 1 सितंबर, 2020 को हुआ और मृतक के पिता ने 21 दिसंबर, 2020 को शुक्राणु देने के लिए अस्पताल से संपर्क किया। ये सभी घटनाएं ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 के अधिनियमन से पहले हुई थीं। इस प्रकार, ***नंदिनी (पूर्वोक्त)*** में निर्णय के बाद पहली बार में ए.आर.टी. अधिनियम वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वीर्य का नमूना तब परिरक्षित किया गया था जब अधिनियम लागू नहीं हुआ था और साथ ही

प्रावधान तथ्यात्मक स्थिति से संबंधित नहीं हैं जैसा कि इस मामले में विचार किया गया था। भले ही अधिनियम के प्रावधानों पर उन सिद्धांतों के लिए विचार किया गया है जो उसमें मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नमूना जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो पति या पत्नी नहीं है, जैसा कि उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है।

<u>क्या गैमिट/वीर्य का नमूना संपत्ति है?</u>

104. अगला प्रश्न जो उठता है वह यह है कि क्या वीर्य का नमूना संपत्ति है। इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए, न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि सामग्री की प्रकृति क्या है।

105. इस प्रकार, वाक्यांश के दायरे को समझने के लिए अन्य अधिकार क्षेत्रों से सहायक मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कनाडा ने सहायक मानव प्रजनन अधिनियम, 2004 लागू किया है, जो कनाडा में ए.आर.टी. प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला मौलिक कानून है। उक्त अधिनियम, 'मानव प्रजनन पदार्थ' का अर्थ है *"शुक्राणु, अंडाणु या अन्य मानव कोशिका या मानव जीन, और इनमें उनमें से किसी का भी एक हिस्सा भी शामिल है"।*

106. ऐतिहासिक रूप से, मनुष्य के मृत शरीर को संपत्ति नहीं माना जाता था। ***विलियम्स (पूर्वोक्त)*** प्रासंगिक है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि मनुष्य का मृत शरीर कोई संपत्ति नहीं है। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

> *मनुष्य का मृत शरीर कोई संपत्ति नहीं हो सकती है.... व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके निष्पादकों को उसके शरीर की अभिरक्षा और कब्जा करने का अधिकार है (हालाँकि वो उनका कोई संपत्ति नहीं है) जब तक कि इसे ठीक से दफनाया नहीं जाता है*

107. आधुनिक दुनिया में यह स्थिति बदल गई है और विभिन्न निर्णयों ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रजनन पदार्थ संपत्ति है। इस मुद्दे पर, ***ईयरवर्थ (पूर्वोक्त)*** में निर्णय इस तर्क का अनुसरण किया है कि मृतक का संग्रहीत शुक्राणु 'संपत्ति' है, क्योंकि मृतक उस पर उपयोग और स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग कर सकता था। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि शुक्राणु मृतक की संपत्ति होता है। इस मुद्दे पर ***हेच्ट (पूर्वोक्त)*** में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है। ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** मामले के तथ्यों के समान एक मामले में, न्यूयॉर्क उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि माता-पिता सबसे करीबी रिश्तेदार थे क्योंकि मृतक अविवाहित था। उनका कोई जीवनसाथी नहीं था और उसकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई। माता-पिता विधिक उत्तराधिकारी थे और इस प्रकार, उन्हें यह तय करने का अधिकार था कि आनुवंशिक पदार्थ का कैसे व्यौहार किया जाना चाहिए। इसी तरह, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय ने भी शुक्राणु के परिरक्षण की अनुमति

देने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। ***रोब्लिन (पूर्वोक्त)*** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शुक्राणु मृतक की व्यक्तिगत संपत्ति है और वह संपत्ति का हिस्सा होगा।

<u>भारतीय विधि के तहत 'संपत्ति'</u>

108. भारतीय विधि के तहत, '***संपत्ति***' में मूर्त और अमूर्त संपत्ति दोनों शामिल हैं। मृतक की संपत्ति को भी 'संपत्ति' शब्द में शामिल किया जाएगा। संपत्ति के अर्थ और दायरे पर चर्चा की गई है, और विभिन्न कानूनों के तहत कई न्यायिक निर्णयों में निर्धारित किया गया है। विधि में मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार की संपत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

i. मूल्यवान अधिकारों और हितों की प्रत्येक प्रजाति संपत्ति है।

ii. उपयोग करने, रखने और निपटान करने के अधिकार सहित किसी चीज़ का स्वामित्व और अनन्य अधिकार संपत्ति है।

iii. जो कुछ भी स्वामित्व का विषय हो सकता है या जिसका विनिमय मूल्य है, वह संपत्ति है।

iv. कार्रवाई में चुना गया संपत्ति है।

v. धार्मिक विन्यास में पद संपत्ति होगा, हालांकि, यह उत्तराधिकार में नहीं मिलेगा।

vi. धन की वसूली का अधिकार भी संपत्ति है।

vii. कोई भी परिरक्षित अधिकार या अधिकारों का समूह संपत्ति है।

viii. संपत्ति या तो अमूर्त या ठोस हो सकती है।

ix किसी विशेष वस्तु पर कोई भी सांपत्तिक अधिकार संपत्ति होगा।

x संपत्ति के अनुरक्षण का अधिकार, संपत्ति है।

xi. वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में कोई भी हित संपत्ति है।

xii. संपत्ति में भौतिक और अभौतिक दोनों अधिकार शामिल होंगे।

109. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (9वां संस्करण) संपत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है –

- *किसी निर्धारित चीज़ (या तो भूमि का एक हिस्सा या संपत्ति) पर कब्जा, उपयोग करने और लाभ उठाने का अधिकार है*
- या
- *कोई भी बाहरी चीज़ जिस पर अधिकार, उपयोग और लाभ उठाने के अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।*

110. संपत्ति दो प्रकार की होती हैः

i. भौतिक संपत्ति और

ii. अभौतिक संपत्ति।

111. भौतिक संपत्ति भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व का अधिकार है और इसे ***'मूर्त संपत्ति'*** भी कहा जाता है। अभौतिक संपत्ति के दो वर्ग हैं:

i. विल्लंगम (ऋणभार)।

ii. अभौतिक चीजों पर अधिकार, जैसे कि बौद्धिक संपदा।

112. भौतिक संपत्ति में मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति भी शामिल होगी जिसे किसी भी तरह से देखा, तौला, मापा, महसूस किया, छुआ या महसूस किया जा सकता है।

'<u>संपत्ति</u>'

113. संपत्ति की व्यापक परिभाषा यह है कि इसमें मृतक की सभी संपत्तियां शामिल हैं। संपत्ति शब्द का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (9वां संस्करण) ने संपत्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

> ***संपत्ति. 1.*** *भूमि या अन्य संपत्ति में किसी व्यक्ति के हित की मात्रा, प्रकृति और गुणवत्ता।* ***2.*** *वह सभी जो किसी व्यक्ति या संस्था के पास है, जिसमें वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति दोनों शामिल हैं।* ***3.*** *वह संपत्ति जिसे कोई*

*व्यक्ति मृत्यु के बाद छोड़ देता है; मृत व्यक्ति की सामूहिक संपत्ति और देनदारियाँ। **4.** भूमि का एक भाग, विशेष रूप से भोगाधिकार से प्रभावित।*

114. संपत्ति में व्यक्तिगत संपत्ति भी शामिल है, जिसे ***'मृतक की संपत्ति'*** कहा जा सकता है और इसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी (9 वीं संस्करण) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> ***मृतक की संपत्ति-*** *वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति जो किसी व्यक्ति के पास मृत्यु के समय होती है और जो ऋणों और दावों के भुगतान के अधीन उत्तराधिकारियों के पास जाती है।*

115. उपरोक्त प्राधिकारों को लागू करके, इस मामले में सवाल यह है कि क्या वीर्य के नमूने को संपत्ति माना जाना चाहिए या मृतक की संपत्ति का हिस्सा माना जाना चाहिए।

116. उपरोक्त का अवलोकन करने पर, तीन परीक्षण हैं जो यह तय करने के लिए निर्धारित किए जाने हैं कि 'संपत्ति' क्या है, अर्थात, क्या वह –

i) कब्जा करने में सक्षम है,

ii) उपयोग और लाभ उठाने में सक्षम है,

iii)निपटान करने में सक्षम है।

117. वीर्य के नमूने पर इन तीन परीक्षणों को लागू करने पर, जो ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 की धारा 2(छ) के निबंधनानुसार गैमीट भी है, वीर्य को शरीर

के भीतर और उसके बाहर भी रखा जा सकता है। आधुनिक तकनीक ने शुक्राणु के नमूने को बाद की तारीख में भी परिरक्षित, संग्रहीत और उपयोग करना संभव बना दिया है। इसका उपयोग प्रजनन को सक्षम करने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसका भी किसी अन्य जैविक सामग्री की तरह निपटान किया जा सकता है। हाल के वर्षों में, डिजिटल और जैव प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति ने शारीरिक सामग्रियों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को काफी बढ़ा दिया है, मुख्य रूप से उनकी आनुवंशिक (सूचनात्मक और चिकित्सीय) क्षमता को प्रकट करके। ये अनुप्रयोग व्यक्तिगत पहचान और स्वास्थ्य पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आनुवंशिक पदार्थ डेटाबेस के निर्माण से लेकर नैदानिक उपकरणों, दवाओं और विभिन्न अन्य तकनीकी के विकास तक हैं। जबकि ये नवाचार पर्याप्त सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं, वे वाणिज्यिक लाभ के लिए विशाल अवसर भी खोलते हैं।

118. इस प्रकार, शुक्राणु का नमूना किसी व्यक्ति की 'संपत्ति' या 'संपत्ति' के रूप में गठित होता है, क्योंकि इसका उपयोग प्रजनन के **उद्देश्यों** के लिए किया जा सकता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। इसका **उपयोग** बांझ व्यक्ति को प्रजनन क्षमता प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसे एक महिला को गर्भ धारण करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से भी **दान** किया जा सकता है। इस प्रकार, शुक्राणु का नमूना संपत्ति या संपत्ति का गठन करता है। मृत व्यक्ति के मामले में,

यह मानव शव या उसके अंगों की तरह ही व्यक्ति की जैविक सामग्री का हिस्सा है।

119. इसके अलावा, ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न निर्णयों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूँकि 'शुक्राणु' प्रजनन पदार्थ है, इसलिए यह संपत्ति होगा।

120. ***इडेवार्ड (पूर्वोक्त)*** में, ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मानव शरीर के किसी अंग को संपत्ति माना जा सकता है। ***एस.एच. बनाम डी.एच. (पूर्वोक्त)*** में, पति-पत्नी के बीच तलाक के समय शुक्राणु को संविदात्मक समझौता के अधीन किया गया था।

121. इस संबंध में ***ईयरवर्थ (पूर्वोक्त)*** का निर्णय महत्वपूर्ण है। अपील न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शुक्राणु को संपत्ति माना जा सकता है, और जिन पुरुषों ने इसे प्रदान किया है, वे इसे अपने शरीर से निकाले जाने के बाद भी इस पर स्वामित्व बनाए रखते हैं। न्यायालय ने ***इडेवार्ड (पूर्वोक्त)*** में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि शरीर का कोई भी अंग संपत्ति बन सकता है यदि उस पर कुछ काम या कौशल लागू किया जाता है। अपील न्यायालय ने भी ***हैच्ट (पूर्वोक्त)*** में निर्णय का अनुसरण किया, जहां न्यायालय ने यह मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि संग्रहीत शुक्राणु को संपत्ति माना जा सकता है, विशेष रूप से मृत्यु के बाद इसके

उपयोग को निर्धारित करने के लिए। कुछ उद्देश्यों के लिए स्वामित्व की इस मान्यता को मरणोपरांत प्रजनन के संदर्भ में शुक्राणु जैसे शरीर के अंगों के विधिक उपचार में एक सार्थक प्रगति के रूप में देखा गया।

122. ***ईयरवर्थ (पूर्वोक्त)*** में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शुक्राणु वह संपत्ति होगी जो विधिक रूप से स्वामित्व पुरुष के पास होगा और चूँकि यह व्यवस्था एक व्यावसायिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभों के उद्देश्य से थी, इसलिए इसे संपत्ति के रूप में माना जाएगा। शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन के टैंकों में हिमीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई जाती, और इसे स्वामित्व योग्य संपत्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त माना गया। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:–

> *"28. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह **तय करने में कि क्या शुक्राणु उस उद्देश्य के लिए स्वामित्व में होने में सक्षम है, जिसकी हमने पहचान की है,** हमारी जाँच का हिस्सा स्वामित्व की घटना के अस्तित्व या अन्यथा के संबंध में होना चाहिए, जो मामले के तथ्यों द्वारा सबसे अधिक दृढ़ता से प्रदर्शित किया गया है (निश्चित रूप से यहां, पुरुषों के शुक्राणु का उपयोग करने का अधिकार, हालांकि सीमित है) और देखभाल के कर्तव्य के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की प्रकृति (यहां, इसका उपयोग करने में उनकी असमर्थता इसके बावजूद कि यह विशिष्ट उद्देश्य था जिसके लिए इसे उत्पन्न किया गया था)।*
>
> *40...*

*फिर भी हम हेच्ट में निर्णय को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं; और यह तथ्य कि हमारे कानून के तहत मृतक की लिखित सहमति से सहवासी द्वारा शुक्राणु का उपयोग, स्वामित्व के बावजूद अधिनियम (धारा 12(1)(ग) और अनुसूची 3 के पैरा 5) के तहत सिद्धांत रूप में प्राप्त करने योग्य होगा. **कुछ उद्देश्यों के लिए जीवित शरीर के भागों या उत्पादों – वास्तव में, जैसा कि होता है, संग्रहीत शुक्राणु के स्वामित्व को मान्यता देने की दिशा में हेच्ट में उठाए गए कदम के महत्व को कम नहीं करता है। वास्तव में, मृत्यु के बाद इसके उपयोग के निर्देश के उद्देश्य से संग्रहीत शुक्राणु के स्वामित्व को, वर्तमान मामले में पुरुषों द्वारा हमें दिए गए कदम से अधिक कुछ नहीं मानना कठिन है।***

45. हम निष्कर्ष निकालते हैं:

(क) इस अधिकार क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान में विकास से अब किसी जीवित मानव शरीर के अंगों या उत्पादों के स्वामित्व के मुद्दे पर निर्णयज विधि के उपचार और दृष्टिकोण का पुनः विश्लेषण करने की आवश्यकता है, चाहे वह वर्तमान उद्देश्यों के लिए हो (अर्थात लापरवाही में कोई कार्रवाई) या अन्यथा।

(ख) वर्तमान दावे जीवित मानव शरीर के उत्पादों से संबंधित हैं जो उन व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं जिन्होंने इसे उत्पन्न किया है। इन अपीलों में हमें इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है कि क्या ऐसे दावों और उन उत्पादों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है जिनमें उत्पाद अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं, उदाहरण के लिए दान किए गए उत्पाद जिनके संबंध में दावे दाताओं द्वारा किए जा सकते हैं या शायद दाताओं द्वारा अनुमत रूप से निर्दिष्ट किए गए किसी भी व्यक्ति द्वारा भी किए जा सकते हैं।

(ग) हमारे लिए सबसे आसान तरीका यह होगा कि पुरुषों के वर्तमान उद्देश्यों के लिए शुक्राणु के स्वामित्व के दावों को इडेवाई में पहली बार

पहचाने गए सिद्धांत के संदर्भ में बनाए रखा जाए। हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि इकाई द्वारा तरल नाइट्रोजन में शून्य से 196 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु का संग्रहण कार्य और कौशल के शुक्राणु के लिए एक अनुप्रयोग था जो इसे काफी अलग विशेषता प्रदान करता था, अर्थात् इसकी तेजी से खराब होने की की प्रवृत्ति को रोक दिया। हम केली को इस तरह के विश्लेषण के साथ पूरी तरह से सुसंगत मानते हैं और डॉब्सन को एक ऐसे दावे के रूप में मानते हैं जो एक अलग कारण से विफल रहा, अर्थात् कि रोगविज्ञानी ने कभी भी दावेदारों को मस्तिष्क को परिरक्षित करने का प्रयास नहीं किया, और अन्यथा बाध्य नहीं था।

(घ) हालाँकि, जैसा कि केली में रोज़ एल.जे. द्वारा पूर्वाभास किया गया है, हम इस क्षेत्र में इडवार्ड के सिद्धांत पर स्थापित निर्णयज विधि को देखकर संतुष्ट नहीं हैं, जिसे मानव शव के स्वामित्व से संबंधित एक सिद्धांत, जो स्वयं असाधारण चरित्र का है, के अपवाद के रूप में तैयार किया गया था। इस तरह की वंशावली इसे एक ठोस नींव के रूप में नहीं मानती है। इसके अलावा, शरीर के अंगों या उत्पादों के मालिक होने की क्षमता के बीच का अंतर जो काम या कौशल के अधीन है, और जो नहीं है, पूरी तरह से तार्किक नहीं है। उदाहरण के लिए, एक शल्य चिकित्सक को शरीर का कोई अंग, उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री दुर्घटना में कटी हुई उंगली, घायल हाथ को पुनः जोड़ने के लिए क्यों प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन जो आवश्यक चिकित्सा प्रक्रिया शुरू करने से पहले लापरवाही से उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, वह इस आधार पर उत्तरदायित्व से कैसे बच सकता है कि शरीर का वह अंग उस कार्य या कौशल के अधीन नहीं था जिसके कारण उसके गुण बदल गए हों?

(ङ) इसलिए हम अपने निष्कर्षों को व्यापक आधार पर रखना पसंद करते हैं।

(च) हमारे निर्णय में, लापरवाही के उनके दावों के प्रयोजनार्थ, पुरुषों के पास उनके द्वारा स्खलित शुक्राणु का स्वामित्व था:

(i) अपने शरीर से, वे अकेले ही शुक्राणु उत्पन्न और स्खलन करते हैं।

(ii) उनका शुक्राणु स्खलन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ घटनाओं में, इसका उपयोग बाद में उनके लाभ के लिए किया जा सकता है। अधिनियम द्वारा इसके उपयोग के उनके अधिकारों को सीमित सीमा तक कम कर दिया गया है, लेकिन अधिनियम के अभाव में भी, पुरुषों को शुक्राणु का उपयोग करने में चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी; इसलिए, शुक्राणु को एक निश्चित तरीके से उपयोग करने के उनके कथित निर्देश और ऐसे उपयोग के बीच चिकित्सा निर्णय का हस्तक्षेप किसी भी स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना होगी। यह सच है कि शुक्राणु के सभी संग्रहण और संग्रहीत शुक्राणु के सभी उपयोग को लाइसेंसधारकों तक सीमित करके, अधिनियम ने पुरुषों की इच्छाओं और शुक्राणु के उपयोग के बीच पेशेवर निर्णय के अनिवार्य हस्तक्षेप को प्रभावित किया है। इसलिए श्री स्टालवर्दी वैध रूप से तर्क दे सकते हैं कि पुरुष अपने शुक्राणु के उपयोग को "निर्देशित" नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, दो कारणों से, इसके उपयोग को "निर्देशित" करने की उनकी क्षमता का अभाव हमारे विचार में उनके स्वामित्व का अपमान नहीं करता है। सबसे पहले, ऐसे कई कानून हैं जो किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति का उपयोग करने की क्षमता को सीमित करते हैं – उदाहरण के लिए भूस्वामी की अपनी भूमि पर निर्माण करने या किरायेदारी के अंत में अपने किरायेदार को बेदखल करने या भेषजज्ञ की अपनी दवाएं बेचने की क्षमता – बिना उसके स्वामित्व को समाप्त किए। दूसरा, सहमति के लिए अपने प्रावधानों द्वारा, अधिनियम पुरुषों की यह निर्देश देने की क्षमता को दृढ़ता से परिरक्षित करता है कि शुक्राणु का उपयोग एक निश्चित तरीके से नहीं किया जाना चाहिएः इसके उपयोग पर उनका नकारात्मक नियंत्रण पूर्ण बना रहता है।

*(iii) शुक्राणु के बाद में संभावित उपयोग के उद्देश्य के लिए अंतरिम में इसके संग्रहण की आवश्यकता होती है। इसमें अधिनियम संग्रहण को लाइसेंस-धारकों तक सीमित करता है, श्री स्टालवर्दी बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों द्वारा इसे संग्रहीत करने या यहां तक कि इसे स्वयं संग्रहीत करने की व्यवस्था करने के लिए पुरुषों की क्षमता के क्षरण पर जोर देते हैं; वह अधिनियम द्वारा प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक समय के लिए लाइसेंस धारकों द्वारा इसके संग्रहण को निर्देशित करने में उनकी असमर्थता पर भी जोर देता है। लेकिन लोक नीति द्वारा संचालित स्वामित्व के सामान्य परिणामों में इन अतिक्रमणों का महत्व, पुनः पुरुषों के नकारात्मक नियंत्रण से बहुत कम हो जाता है, जो इन प्रावधानों में परिलक्षित होता है कि शुक्राणु को उनकी सहमति के बिना संग्रहीत नहीं किया जा सकता है या संग्रहीत किया जाना जारी नहीं रखा जा सकता है। **इस प्रकार अधिनियम पुरुषों के स्वामित्व की एक मौलिक विशेषता को मान्यता देता है, अर्थात्, कि किसी भी समय उन्हें शुक्राणु को नष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है।***

(iv) उपरोक्त (ii) और (iii) में उपयोग और संग्रहण से संबंधित अधिकारों के विश्लेषण पर संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, अर्थात्, जबकि लाइसेंसधारक के कर्तव्य ऐसे हैं, जिसका पुरुषों की इच्छाओं के साथ टकराव हो सकते हैं, उदाहरण के लिए अधिकतम संग्रहण अवधि की समाप्ति पर शुक्राणु को नष्ट करने के संबंध में, प्रत्येक पुरुष के अलावा किसी भी व्यक्ति, चाहे वह मानव हो या कॉर्पोरेट, को उसके द्वारा उत्पादित शुक्राणु के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

(v) अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि पुरुषों के पास उनके वर्तमान दावों के प्रयोजनों के लिए शुक्राणु का स्वामित्व था, हम शुक्राणु के संबंध में पुरुषों के प्राथमिक, यदि सीमित, अधिकारों के बीच सटीक सहसंबंध से पुष्ट होते हैं, अर्थात् इसके भविष्य के उपयोग के संबंध में, और ट्रस्ट के कर्तव्य-भंग के परिणाम, अर्थात् इसके भविष्य के उपयोग पर रोक।

123. प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया मामला - भारत संघ, ***रॉबर्टसन (पूर्वोक्त)***, एक ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता के पति के शुक्राणु के नमूने को प्रत्यर्थी द्वारा परिरक्षित किया गया था। हालांकि, वह खो गया था। इसके बाद पत्नी ने हर्जाने का वाद चलाया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता के पति की उनकी मृत्यु के बाद गर्भधारण के लिए सहमति तथ्यों में दिखाई नहीं देती। न्यायालय ने कहा कि वह इस बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं देना चाहेगा कि संभावित बच्चे का जन्म होना या न होना बेहतर है या नहीं। हालाँकि, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से अपने पति के शुक्राणु से मरणोपरांत बच्चे को गर्भ धारण करने का हकदार नहीं थी और इस प्रकार वह उस अवसर के लिए हर्जाने का हकदार नहीं है, जो उसे कभी मिला ही नहीं था। कैलिफोर्निया की अपील न्यायालय ***हेच्ट (पूर्वोक्त)*** और ***मोनिका झू (पूर्वोक्त)*** के भी राय से सहमत नहीं थी। स्पष्ट रूप से, ***रॉबर्टसन (पूर्वोक्त)*** में निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग है, क्योंकि वर्तमान मामले में, मृतक की सहमति स्पष्ट रूप से मौजूद है।

124. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि वीर्य का नमूना या इसी तरह अंडाणु का नमूना 'संपत्ति' है।

<u>क्या माता-पिता वीर्य का नमूना निकालने के हकदार हैं?</u>

125. उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या याचीगण इस आधार पर नमूना निकालने के हकदार हैं कि वे मृतक के उत्तराधिकारी हैं, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नमूना स्वयं संपत्ति होता है।

126. इस मुद्दे को आसानी से हल किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मृत व्यक्ति से संबंधित कोई भी जैविक पदार्थ, जिसका निर्वसीयत निधन हो गया है, उसके उत्तराधिकारियों की होगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत, जिसमें याचिकाकर्ता शामिल हैं, पति या पत्नी या बच्चों की अनुपस्थिति में, माता-पिता मृतक के वर्ग-1 विधिक उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार, दोनों शर्तें यानी वीर्य का नमूना संपत्ति है और याचीगण उत्तराधिकारी हैं संतुष्ट हैं। इस प्रकार, वे वीर्य का नमूना निकालने के हकदार हैं।

<u>क्या निकालना किसी भी शर्त के अधीन होनी चाहिए या यह बिना शर्त होनी चाहिए?</u>

127. स्पष्ट रूप से, पैराग्राफ 11 के अनुसार और याचिका के आधार डी और ई के आधार पर भी, याचीगण वीर्य के नमूने का उपयोग अपनी विरासत को जारी रखने के उद्देश्य से करना चाहते हैं, अर्थात अपनी संतान पैदा करना चाहते हैं। यह मरणोपरांत प्रजनन और इसकी वैधता और विधिमान्यता पर सवाल उठाता है। भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने मरणोपरांत प्रजनन के मुद्दे पर विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं।

128. मरणोपरांत प्रजनन *('पी.आर.')* और मरणोपरांत शुक्राणु पुनर्प्राप्ति *('पी.एम.एस.आर.'),* संबंधित होते हुए भी, प्रजनन तकनीक के संदर्भ में अलग-अलग अर्थ रखते हैं। पी.आर. एक या दोनों आनुवंशिक माता-पिता की मृत्यु के बाद बच्चे को गर्भ धारण करने की व्यापक अवधारणा को संदर्भित करता है, जिसमें अक्सर मृतक की पूर्व सहमति से संग्रहीत शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, पी.एम.एस.आर. विशेष रूप से मृत या मस्तिष्क-मृत व्यक्ति से तत्काल शुक्राणु की पुनर्प्राप्ति को संदर्भित करता है, अक्सर उन मामलों में जहां पहले से कोई शुक्राणु संग्रहीत नहीं किया गया था। पी.एम.एस.आर. अक्सर अनियोजित स्थितियों में होता है जहाँ मृतक की सहमति स्पष्ट नहीं होती है। वर्तमान याचिका पी.आर. का एक उदाहरण है, न कि पी.एम.एस.आर. का।

129. मरणोपरांत प्रजनन या 'पी.आर.' एक या दोनों जैविक माता-पिता की मृत्यु के बाद ए.आर.टी. का उपयोग करके बच्चे को गर्भ धारण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इसमें मृत या मस्तिष्क-मृत व्यक्ति से उत्तेजित स्खलन, सूक्ष्म अधिवृषण शुक्राणु चूषण *(एम.ई.एस.ए.),* वृषण शुक्राणु संग्रहण *('टी.एस.ए.')* जैसी तकनीकें शामिल हैं। आनुकल्पिक रूप से, मृत्यु से पहले एकत्र किए गए परिरक्षित या हिमीकृत शुक्राणु

या अंडाणुओं का उपयोग किया जा सकता है। पी.आर. को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- नियोजित पी.आर., जहां भावी माता-पिता मृत्यु की आशंका से स्पष्ट सहमति प्रदान करते हैं;
- अनियोजित पी.आर., जहां सहमति के बिना ही अचानक से मृत्यु हो जाती है;
- मस्तिष्क-मृत पी.आर., जिसमें मस्तिष्क-मृत महिला साथी में भ्रूण का निरंतर विकास शामिल है;
- और स्टेम सेल पी.आर., एक हालिया विकास जहां स्टेम कोशिकाओं से अंडाणु का उपयोग जैविक माँ की उपस्थिति या सहमति के बिना भ्रूण बनाने के लिए किया जाता है।

130. पी.आर. के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जैसा कि भारत संघ के लिखित प्रस्तुतियों में संक्षेप में दर्ज किया गया है, इस प्रकार है:

विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में पी.आर. पर विधिक स्थिति:

अधिकार क्षेत्र	*पी.आर. पर विधिक स्थिति*	*मुख्य आवश्यकता*
जर्मनी	सख्त मनाही है। पी.आर. करने पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।	उपलब्ध नहीं (एन/ए)

फ्रांस	केवल चिकित्सा प्रजनन समस्याओं वाले विवाहित दंपतियों के लिए अनुमति दी गई है। व्यक्तियों के लिए पी.आर. को बाहर रखा गया है।	सहमति और चिकित्सीय आवश्यकता।
पाकिस्तान	इस्लामी कानून के तहत पी. आर. निषिद्ध है, क्योंकि मृत्यु वैवाहिक बंधन को समाप्त कर देती है।	उपलब्ध नहीं एन/ए
स्विटजरलैंड	चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रजनन पर स्विस संघीय अधिनियम के तहत पी.आर. प्रतिबंधित है।	उपलब्ध नहीं (एन/ए)

पी.आर. के लिए स्पष्ट सहमति की आवश्यकता वाले अधिकार क्षेत्र:

अधिकार क्षेत्र	*पी.आर. पर विधिक स्थिति*	*सहमति की आवश्यकता*
उरुग्वे	पी.आर. की अनुमति लिखित सहमति से दी जाती है, जो 365 दिनों के लिए वैध होती है।	लिखित सहमति 1 वर्ष के लिए वैध है।
बेल्जियम	पी.आर. को 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद अनुमति दी जाती है लेकिन यह 2 साल के भीतर होना चाहिए।	अलग से लिखित समझौता।
ऑस्ट्रेलिया (विक्टोरिया)	पी.आर. को मानव ऊतक अधिनियम 1982 और सहायक प्रजनन उपचार अधिनियम 2008 द्वारा विनियमित किया गया है।	दो गवाहों की उपस्थिति में लिखित या मौखिक सहमति, और रोगी समीक्षा पैनल द्वारा

		अनुमोदन।
कनाडा	पी.आर. की अनुमति सख्त लिखित सहमति के साथ दी जाती है।	लिखित सहमति आवश्यक है।
यूनाइटेड किंगडम	पी.आर. केवल लिखित, हस्ताक्षरित सहमति के साथ ही स्वीकार्य है।	लिखित, हस्ताक्षरित सहमति (पहले केवल लिखित)।

पी.आर. के लिए अतिरिक्त विचारणा

अधिकार क्षेत्र	*अतिरिक्त आवश्यकताएं/विचारणा*
ऑस्ट्रेलिया (विक्टोरिया)	रोगी समीक्षा पैनल द्वारा अनुमोदन, महिला के लिए परामर्श, और बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचारणा।
संयुक्त राज्य अमेरिका (ए.एस.आर.एम. दिशानिर्देश)	नैतिक दिशा-निर्देश बताते हैं कि माता-पिता की इच्छाएं मृतक के गैमिटों पर नैतिक दावा नहीं करती हैं।
इज़राइल	केवल मृतक की महिला साथी ही शुक्राणु का उपयोग कर सकती है; माता-पिता को बाहर रखा गया है।

131. जैसा कि उपरोक्त तालिकाओं से देखा जा सकता है, मरणोपरांत प्रजनन के मुद्दे पर कोई अंतर्राष्ट्रीय सहमति नहीं है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अनुसार, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे कुछ अधिकार क्षेत्र इसे प्रतिबंधित करते हैं। रूस और कनाडा जैसे कुछ देशों में इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त

नियम हैं। मरणोपरांत प्रजनन/मरणोपरांत जनन आमतौर पर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के संदर्भ में होता है। ऐसे मामले में जहां केवल एक ही माता-पिता है, अर्थात, वह पिता जिसने शुक्राणु को हिमीकृत कर लिया है, जो अविवाहित भी है और जिसका कोई जीवनसाथी भी नहीं है, तब यह मुद्दा और भी अधिक जटिल हो जाता है।

132. ऐसे मामले में, इस न्यायालय की राय में, जिस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या शुक्राणु के स्वामी द्वारा मृत्यु के बाद प्रजनन के उद्देश्यों के लिए आनुवंशिक पदार्थ के उपयोग के उद्देश्य से सहमति व्यक्त या निहित थी। इस संदर्भ में कई तरह की बहसें उठती हैं-

(i) सबसे पहले, याचीगण का आशय, जो प्रस्तावित बच्चे के दादा-दादी बनेंगे, यानी बुढापे में पोते-पोतियों का साथ निभाना चाहते हैं,

(ii) क्या उनकी प्रेरणा अपने मृत बेटे के अस्तित्व को जारी रखने की भावना महसूस करना है या संभावित रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त करना है।

(iii) मरणोपरांत प्रजनन के माध्यम से पैदा हुए बच्चे पर मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए। क्या बच्चे को अपने माता-पिता की अनुपस्थिति से पीड़ा होगी? वे अपनी अनूठी

गर्भाधान की कहानी और इसके पीछे के कारणों को कैसे वर्णित करेंगे?

(iv) मरणोपरांत प्रजनन के व्यापक सामाजिक प्रभाव। इसमें मानव प्रजनन पदार्थ के वस्तुकरण, आनुवंशिक विरासत का व्यावसायीकरण और इस बात पर बहस शामिल है कि क्या मरणोपरांत प्रजनन करने की क्षमता का दुरुपयोग किया जा सकता है।

133. तकनीक संतान को जन्म देने के उद्देश्य से वीर्य के नमूनों के उपयोग को सक्षम बनाती है। हालांकि, मरणोपरांत प्रजनन या मृत्यु के बाद प्रजनन के मामलों में, भविष्य में होने वाले बच्चे की सुविज्ञ सहमति और कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। उस हद तक, विशेष रूप से पति/पत्नी/जीवनसाथी के बिना एक मृत व्यक्ति के मामले में गैमेटों को देने का निर्देश देने से पहले, न्यायालय अज्ञात और अजन्मे बच्चे पर पैरेंस पैट्रिया' अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। पारिवारिक परिस्थितियों, अजन्मे बच्चे की भलाई आदि सहित कई कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। चूँकि न्यायालय को मृत व्यक्ति के नमूने को देने के संबंध में निर्णय लेना है, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केवल इसलिए कि वीर्य का नमूना 'संपत्ति' है और इसको देने के खिलाफ कोई निषेध नहीं है, यह स्वतः नहीं हो सकता है। प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन बिना किसी सामान्य नियम के अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

134. इज़राइल में एक मामले में, 2002 में गाजा में मारे गए एक 19 वर्षीय सैनिक के माता-पिता ने अपने बेटे के शुक्राणु का मरणोपरांत उपयोग करने के लिए विधिक अनुमति प्राप्त की। मृत सैनिक की माँ को भावी एकल माँ चुनने की अनुमति मिली और मृत बेटे के शुक्राणु से एक बेटी का जन्म हुआ। यहां तक कि जर्मनी में, जहाँ अपेक्षाकृत रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, 'एर्लान्गर बेबी' के मामले पर तीखी बहस हुई, जिसमें एक गर्भवती माँ, जिसकी मस्तिष्क-मृत हो गई थी, को उसकी गर्भावस्था को बचाने के लिए जीवित रखा गया था। जर्मनी में ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां मस्तिष्क-मृत माताओं को स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए कृत्रिम रूप से जीवित रखा गया था। हालाँकि, 2009 से, यह कहा गया है कि जर्मनी में गैमिटों के क्रायोप्रिजर्वेशन के साथ पी.एच.आर. की अनुमति है। ऐसे कई मामले हैं जहां पुरुषों ने कैंसर के उपचार के कारण वीर्य के नमूनों को परिरक्षित किया है, जिन्होंने बाद में बच्चे पैदा करने के लिए सरोगेट माताओं का उपयोग किया है।

135. एम्स में फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसरों द्वारा लिखित जर्नल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइंसेज में प्रकाशित एक समीक्षा लेख में यह देखा गया है कि उचित दिशानिर्देशों की कमी के कारण डॉक्टर ने एक मामले में मृत व्यक्ति से शुक्राणु पुनर्प्राप्ति की अनुमति नहीं दी थी, जहां पत्नी द्वारा अनुरोध किया गया था। यह लेख अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को निम्नानुसार दर्ज किया है:

पी.एम.एस.आर. पर प्रतिबंध लगाने वाले देश:

- **हंगरी** और **स्लोवेनिया:** ये देश स्पष्ट रूप से मरणोपरांत शुक्राणु पुनर्प्राप्ति (पी.एम.एस.आर.) को प्रतिबंधित करते हैं।
- **ऑस्ट्रेलिया (इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक्ट 1995):** मृत पुरुष के शुक्राणु से गर्भाधान को प्रतिबंधित करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान परिषद (एन.एच.एम.आर.सी.) के दिशानिर्देशों ने शुरू में इसे 'अनैतिक' के रूप में वर्णित किया, हालांकि 2007 में नए दिशानिर्देश उचित सहमति और परामर्श के साथ पी.एम.एस.आर. की अनुमति दिए हैं।

पी.एम.एस.आर. को अनुमति देने वाले देश:

- **चेक गणराज्य:** पी.एम.एस.आर. को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गई है।
- **जापान:** यदि रक्त संबंध की पुष्टि हो गई है और पति की सहमति प्राप्त हो गई है, तो पी.एम.एस.आर. की अनुमति है।
- **यूनाइटेड किंगडम (ह्यूमन फर्टलिज़ैशन एंड एम्ब्रियोलॉजी (डिकिज्ड फादर) एक्ट 2003):** पी.एम.एस.आर. की अनुमति है यदि मृतक लिखित सहमति प्रदान करता है। विधि मृतक को पिता के रूप में मान्यता देता है यदि भ्रूण

को उसके शुक्राणु का उपयोग करके मरणोपरांत बनाया गया था, और उचित सहमति प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

जिन देशों में कोई कानून या दिशानिर्देश नहीं हैं:

- **साइप्रस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड और स्लोवाकिया:** इन देशों में पी.एम.एस.आर. को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट विधि या दिशानिर्देश नहीं हैं।

विशिष्ट दिशानिर्देश और नैतिक मानक:

- **ऑस्ट्रेलिया (अद्यतन एन.एच.एम.आर.सी. दिशानिर्देश 2007):** पी.एम.एस.आर. को अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के बाद विधवा की उचित सहमति और परामर्श से स्वीकार किया जाता है।
- **यूरोपियन सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी (11वीं टास्क फोर्स):** पी.एम.एस.आर. को इन शर्तों के तहत स्वीकार्य माना जाता है:
  - मृतक की लिखित सहमति।
  - जीवनसाथी से व्यापक परामर्श।
  - उपचार शुरू करने से पहले कम से कम एक साल की प्रतीक्षा अवधि।

- यह दान की शर्तों के तहत तीसरे पक्ष के प्रजनन के लिए गैमिटों के उपयोग की भी अनुमति देता है।

- **अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन (एथिक्स कमेटी):** पी.एम.एस.आर. की अनुमति है यदि मृतक सहमति प्रदान किया है, जीवनसाथी को ठीक तरह से परामर्श दिया गया है, और दाता के संक्रमण के लिए जाँच की गई है।

गैमिटों पर अनुसंधान या प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाले देशः

- मलेशिया (मलेशियाई चिकित्सा परिषद के दिशानिर्देश 2006): मानव अंडकोष या शुक्राणु से जुड़े किसी भी शोध या प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।

विधान में अंतरः

- मृतक की सहमति से पी.एम.एस.आर. की अनुमति देने वाले कई दिशानिर्देश अचानक, अप्रत्याशित मृत्यु के मामलों को संबोधित नहीं करते हैं जहां कोई स्पष्ट या निहित सहमति प्रदान नहीं की गई थी।

136. श्रीलंका में पी.एम.एस.आर. के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी यही स्थिति है। हालाँकि, पाकिस्तान में, लेख में दर्ज किया गया है कि पति की मृत्यु के बाद क्रायोप्रिजर्व्ड शुक्राणु से अंडाणु का निषेचन

सख्त वर्जित है। घोषणा विभिन्न मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर ए.आर.टी. को मरणोपरांत प्रजनन के लिए उपयोग करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है जिसमें सहमति, संसाधनों की उपलब्धता, समय अवधि और मानसिक-सामाजिक परामर्श का सवाल शामिल है। उपरोक्त घोषणा हालांकि केवल पत्नी के संदर्भ में है, यानी मृतक पति की पत्नी शुक्राणु के नमूने को देने की माँग कर रही है। वर्तमान मामले में मृतक का कोई जीवित पति या पत्नी नहीं है।

निष्कर्ष और निर्णय

137. उपरोक्त विधिक स्थिति के साथ-साथ जिन निर्णयों पर ऊपर चर्चा की गई है, उनके अवलोकन से पता चलता कि पी.आर. या पी.एम.एस.आर. का मुद्दा एक जटिल मुद्दा है और विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में इसका निपटान करने या विनियमित करने के तरीके में कोई एकरूपता नहीं है।

138. वर्तमान मामले के संदर्भ में, कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों का उल्लेख किया जाना चाहिए। भारत में, दादा-दादी द्वारा बच्चों का पालन-पोषण करना विशेष रूप से अलग रहने, तलाक या मृत्यु के कारण वास्तविक माता-पिता की अनुपस्थिति में करना असामान्य नहीं है। सांस्कृतिक और सामाजिक लोकाचार भी दादा-दादी को बच्चों की अभिरक्षा देने से नहीं रोकता है। उदाहरण के लिए, अभिरक्षा की लड़ाई में, बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयों ने

माता-पिता दोनों से मिलने के अधिकार के साथ दादा-दादी द्वारा बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए उन्हें सौंप दिया है।

139. ***नील रतन कुंडू बनाम अभिजीत कुंडू*** में, एक नाबालिग बच्चे का पिता, प्रत्यर्थी ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें अपने बेटे की अभिरक्षा की माँग की गई। बच्चे की माँ की मृत्यु के बाद बच्चा अपीलार्थीगण, जो ***नाना-नानी*** हैं, की अभिरक्षा में था। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को यह तर्क देते हुए अभिरक्षा प्रदान की कि पिता स्वाभाविक अभिभावक के रूप में, वह बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहतर है। उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बरकरार रखा। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर बच्चे ने प्रत्यर्थी के साथ जाने से इनकार कर दिया।

140. उच्चतम न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय इस सुस्थापित विधिक सिद्धांत को लागू करने में विफल रहीं कि अभिरक्षा के मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए। इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि बच्चे के कल्याण पर पूरी तरह से विचार किए बिना प्रत्यर्थी को अभिरक्षा देना अनुचित था। प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

> *58. दोनों न्यायालयों का दृष्टिकोण विधि के अनुसार नहीं है और कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए, दोनों न्यायालयों ने नोट किया कि अपीलार्थीगण (नाना-*

नानी) अंतरिक्ष को 'पूरा प्यार और स्नेह' दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंतरिक्ष को अपने पिता से उतना ही प्यार और स्नेह नहीं मिलेगा। यह भी देखा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थीगण ने अंतरिक्ष को एक प्रतिष्ठित स्कूल (सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल, कोलकाता) में प्रवेश दिलवाया। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पिता अपने बेटे की व्यक्तिगत देखभाल नहीं करेंगे। दोनों न्यायालयों ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिता को अंतरिक्ष की अभिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और उन्होंने 1956 के अधिनियम द्वारा प्रदान की गई किसी भी अयोग्यता को लागू नहीं किया है।

59. हम निचली न्यायालयों के दृष्टिकोण की मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। इस न्यायालय ने निर्णयों में कहा है कि बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करने वाला नियंत्रिक विचार बच्चों का कल्याण है न कि उनके माता-पिता का अधिकार।

...

62. हमारी राय में, ऐसे मामलों में, यह 'नकारात्मक जाँच' प्रासंगिक नहीं है कि पिता अपने बेटे/बेटी की अभिरक्षा के लिए 'अनुपयुक्त' या अयोग्य नहीं है, बल्कि 'सकारात्मक जांच' प्रासंगिक है कि ऐसी अभिरक्षा नाबालिग के कल्याण में होगी जो कि वास्तविक है और इस आधार पर है कि न्यायालय को पिता, माँ या किसी अन्य अभिभावक के पक्ष में नाबालिग की अभिरक्षा देने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

...

<u>84. हमने अपने कक्ष में अंतरिक्ष को बुलाया। हमें वह काफी बुद्धिमान लगा। जब हमने उनसे पूछा कि क्या वह अपने पिता के पास जाना चाहता है और उनके साथ रहना चाहता है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उनके साथ जाने या उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने नाना-नानी के साथ बहुत खुश हैं और उनके साथ ही रहना जारी रखना</u>

<u>चाहेगा। इसलिए, हमारा यह सुविचारित राय है कि तथ्यों और परिस्थितियों में अंतरिक्ष को उसके पिता प्रत्यर्थी को अभिरक्षा देना उचित नहीं होगा।</u>

141. विचाराधीन मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचीगण के बेटे ने अपने वीर्य के नमूने के परिरक्षण के लिए सहमति देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि वह प्रजनन परिरक्षण के लिए वीर्य को हिमीकृत करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य ***'प्रजनन परिरक्षण'*** के लिए था जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ संतान प्राप्ति या प्रजनन के उद्देश्यों के लिए होता है। इस प्रकार, वीर्य के परिरक्षण के लिए इस मामले में सहमति केवल निहित नहीं है, बल्कि वास्तव में व्यक्त है। मृतक, जो नमूने का मालिक था, अच्छी तरह जानता था कि वह विवाहित नहीं है और उसका कोई जीवनसाथी भी नहीं है। याचीगण के बेटे का इरादा था कि वीर्य के नमूने का उपयोग बच्चे को जन्म देने के लिए किया जाए। हो सकता है कि उन्होंने कीमोथेरेपी के बाद जीने की उम्मीद की हो, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। वीर्य के नमूने के परिरक्षण के लिए दी गई सहमति से मृतक बेटे की अंतिम इच्छा का भी पता लगाया जा सकता है। जब उनका निधन हो गया, तो माता-पिता मृतक के उत्तराधिकारी हुए, और वीर्य का नमूना आनुवंशिक पदार्थ और संपत्ति होने के कारण, माता-पिता इसे निकालने के हकदार हैं।

142. आधुनिक विज्ञान के विकास के साथ बांझ दंपतियों को बच्चे पैदा करने में सक्षम बनाया जा रहा है, इस न्यायालय की राय में दादा-दादी की अपने युवा मृत

बेटे की विरासत को जारी रखने की उम्मीद को हराया नहीं जा सकता है, जिसने विशेष रूप से अपने वीर्य के नमूने को परिरक्षित किया था। दादा-दादी अपने पोते-पोतियों का इस तरह से पालन-पोषण करने में समान रूप से सक्षम होते हैं ताकि उन्हें समाज में समाहित किया जा सके। वर्तमान मामले में, प्रस्तावित बच्चे का जन्म एक पहचानी गई सरोगेट माँ के माध्यम से या सहमति वाली महिला के साथ शुक्राणु के निषेचन से हो सकता है, जिसे याचीगण द्वारा आई.वी.एफ. के माध्यम से पहचाना जा सकता है। यदि माता-पिता सरोगेसी का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं, तो यह देखा जाता है कि सरोगेट अधिनियम ऐसी स्थिति पर विचार नहीं करता है। यदि माता-पिता ए.आर.टी. सेवाओं का विकल्प चुनते हैं, तो ए.आर.टी. अधिनियम, 2021 इस स्थिति पर भी विचार नहिं करता है। इसलिए माता-पिता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इस न्यायालय का रुख किया है।

143. इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, प्रचलित भारतीय विधि के तहत, मरणोपरांत प्रजनन के खिलाफ कोई निषेध नहीं है यदि शुक्राणु के मालिक या अंडाणु के मालिक की सहमति प्रमाणित किया जा सकता है। यदि मृतक शादीशुदा होता और उसका पति या पत्नी होता, तो मुद्दा उतना जटिल नहीं होता। पति या पत्नी की अनुपस्थिति में, सवाल उठता है: क्या मौजूदा कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध है? इसका जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। ऐसे

किसी निषेध के अभाव में, यह न्यायालय ऐसे किसी प्रतिबंध को लागू करने में असमर्थ है, जहां कोई प्रतिबंध मौजूद ही नहीं है।

144. सुस्थापित स्थिति को देखते हुए, गंगाराम अस्पताल द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा अभिलेख के अनुसार, शुक्राणु संपत्ति है और माता-पिता अपने मृत बेटे के विधिक उत्तराधिकारी हैं। मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं होने और याचिकाकर्ता के बेटे द्वारा उसकी मृत्यु से पहले सहमति दिए जाने के कारण, न्यायालय की राय है कि यह याचीगण को शुक्राणु के नमूने को देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

145. प्रत्यर्थी सं. 3—गंगा राम अस्पताल को तदनुसार निर्देश दिया जाता है कि वह आई.वी.एफ. प्रयोगशाला में संग्रहीत 27 जून, 2020 के पंजीकरण संख्या 2726372 वाले हिमीकृत वीर्य के नमूने को *तुरंत* याचीगण की अभिरक्षा में सौंप दे। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वीर्य के नमूने का उपयोग किसी भी वाणिज्यिक या मौद्रिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

146. वर्तमान निर्णय विद्वान के.सर.स्था.अधि. द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह विचार करने के उद्देश्य से सूचित किया जाएगा कि क्या मरणोपरांत प्रजनन या मृत्यु के बाद प्रजनन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किसी विधि, अधिनियमिति या दिशानिर्देश की आवश्यकता है। विद्वान

के.सर.स्था.अधि. वर्तमान निर्णय को सचिव, एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू., भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करें।

147. वर्तमान याचिका को उपरोक्त शर्तों पर अनुमति दी गई है, और सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटान किया जाता है।

प्रतिभा एम.सिंह
न्यायाधीश

4 अक्टूबर, 2024
डी.के./राहुल/डी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*